CHILD RESOURCE CENTRE

बच्चों के प्रकरणों में विशेष किशोर पुलिस इकाई की भूमिका

परिकल्पना–
श्रीमती शैली किशनानी, IAS
अतिरिक्त महानिदेशक,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

मार्गदर्शन –
श्रीमती राजेश यादव, IAS (Rted.)
वरिष्ठ सदस्य,
बाल सदंर्भ केन्द्र,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

लेखन–
श्री राजकुमार पालीवाल
कार्यक्रम अधिकारी–क्षमतावर्धन,
बाल संदर्भ केन्द्र,
हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

प्रकाशक–
बाल संदर्भ केन्द्र,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

प्रकाशन वर्ष– 2025

मुद्रण एवं सहयोग–
सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

आवश्यक सूचना–

बाल संदर्भ केन्द्र द्वारा इस पुस्तिका का प्रकाशन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्तर्गत नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, विधि से संघर्ष बच्चों एवं विभिन्न अपराधों से पीड़ित बच्चों के प्रकरणों में अपनाई जाने वाली भूमिका पर समझ विकसित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कृपया इस पुस्तिका का उपयोग कानूनी दस्तावेज के रूप में ना करें। इस पुस्तिका में उपयोग किए गये फोटोग्राफ्स/चित्र काल्पनिक हैं।

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय 1	विशेष किशोर पुलिस इकाई	1
अध्याय 2	देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के निम्नलिखित प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका–	3
	✓ अनाथ बच्चे के प्रकरण में भूमिका	3
	✓ परित्यक्त बच्चे के प्रकरण में भूमिका	4
	✓ गुमशुदा या घर से पलायित बच्चे के प्रकरण में भूमिका	6
	✓ ऐसे बच्चे, जिनके साथ साझे घर में आवासरत किसी व्यक्ति/परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चे को –	9
	• क्षति पहुचाई गई है या शोषण किया गया है या उपेक्षा की गई है अथवा बच्चों के संरक्षण से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि का उल्लंघन किया गया है या	
	• मारने या क्षति पंहुचाने या शोषण करने या दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है या धमकी को क्रियान्वित करने युक्तियुक्त संभावना है या	
	• ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य बच्चे की हत्या/वध या उपेक्षा या शोषण किया गया है, तथा वर्तमान में साथ रह रहे बच्चे की हत्या/वध या उपेक्षा या दुर्व्यवहार या शोषण किये जाने की युक्तियुक्त संभावना है के प्रकरण में भूमिका	
	✓ लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे के प्रकरण में भूमिका	11
	✓ दुर्व्यापार से पीड़ित बच्चे के प्रकरण में भूमिका	15
	✓ बाल श्रमिक/श्रम विधियों का उल्लंघन करने वाले बच्चे के प्रकरण में भूमिका	18
	✓ बाल विवाह से प्रभावित बच्चे के प्रकरण में भूमिका	21
	✓ बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे के प्रकरण में भूमिका	23
	✓ लाईलाज बीमारी से ग्रसित ऐसा बच्चा, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, के प्रकरण में भूमिका	27
	✓ सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव/प्राकृतिक आपदा से पीड़ित या प्रभावित बच्चे के प्रकरण में भूमिका	28
अध्याय 3	रेलवे के सम्पर्क में आने वाले बच्चों के प्रकरण में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका	30
अध्याय 4	बच्चों के विरूद्ध अपराध के प्रकरण में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका	33
अध्याय 5	विधि से संघर्षरत बच्चों के संबंध में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका	35
अध्याय 6	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा अपनाये जाने वाले बाल मैत्री सूचक	43
अध्याय 7	बच्चों के प्रकरणों में पुलिस द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले प्रपत्र	48

प्राक्कथन

किसी भी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस को जन समुदाय से जुड़ी प्रथम कड़ी माना जाता है। अपराधियों के प्रति कठोरता एवं पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता पुलिस की कार्यप्रणाली का मूलभूत आधार है, जिससे पुलिस का मूल ध्येय ''आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय'' सार्थक सिद्ध होता है।

समाज के कमजोर वर्ग के रूप में महिलाओं एवं बच्चों के प्रति पुलिस को अधिक संवदेनशील बनाने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष कानूनी प्रावधान किये गये हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान कर समाज में भयमुक्त वातावरण निर्माण करने के उद्देश्य से निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 में महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के मामलों में पुलिस के सामाजिक दायित्वों पर विशेष जोर दिया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रत्येक पुलिस जिले में ''विशेष किशोर पुलिस इकाई'' के गठन एवं थाने स्तर पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान किये गये हैं। इस इकाई के माध्यम से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराध, विधि से संघर्षरत बच्चों तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में कार्यवाही के लिए बाल हितैषी पुलिस के निर्माण की बात की गई है। लैगिंक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत् भी पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है। उक्त के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पूर्णा बहरूआ बनाम भारत सरकार एवं बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत सरकार के प्रकरण में विशेष किशोर पुलिस इकाई के प्रभावी संचालन हेतु समय-समय पर आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये हैं।

वर्तमान परिपेक्ष्य में, बच्चे कई कारणों से पुलिस के सम्पर्क में आते हैं। ऐसे में पुलिस का बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार करना बेहद आवश्यक है। इन बच्चों को तात्कालिक देखभाल, संरक्षण, आश्रय, परामर्श, भावनात्मक/कानूनी सहयोग इत्यादि की आवश्यकताएं होती है। राजस्थान पुलिस द्वारा समय-समय पर पुलिस के संपर्क में आने वाले बच्चों के लिए बाल मैत्री पुलिस व्यवस्था की स्थापना हेतु विभिन्न प्रभावी प्रयास एवं नवाचार किये गये हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति, प्रक्रिया, रूख, वातावरण/बर्ताव, जो मानवीय, विचारशील, बच्चे के हित में हो एवं बच्चे को प्रिय लगे ''बाल हितैषी'' तथा बच्चों के मूलभूत अधिकारों एवं जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण, भौतिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक विकास के संबंध में लिये गये निर्णयों को ''बच्चे के सर्वोत्तम हित'' के रूप में परिभाषित किया गया है।

राज्य में बच्चों से जुड़े अधिनियमों की भावना के अनुरूप क्रियान्वयन के माध्यम से ही बाल मैत्री पुलिस व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

1
अध्याय

विशेष किशोर पुलिस इकाई

समुदायिक स्तर पर बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें संरक्षणात्मक वातावरण उपलब्ध कराने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 107 के तहत बच्चों के प्रकरणों में बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया की आवश्यकता को महसूस करते हुए ''विशेष किशोर पुलिस इकाई'' के गठन एवं प्रत्येक थाने स्तर पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान किये गये हैं, जिसके अनुसार अनुभवी एवं प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों द्वारा ही बच्चों के मामले देखे जायेंगे। भारत सरकार द्वारा बाल यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लागू किये गए ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' के तहत भी विशेष किशोर पुलिस इकाई की भूमिका निर्धारित की गई है।

किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, विधि से संघर्षरत बच्चों एवं पीड़ित बच्चों के मामलों में बाल मैत्री तरीके से त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला स्तर पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन के प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम के प्रावधानानुसार 2 सामाजिक कार्यकर्ता (जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जिला स्तर पर नियुक्त/मनोनीत, जिसमें एक महिला होगी) तथा जिले के समस्त पुलिस थानों में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (सहायक उपनिरीक्षक स्तर या इससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी) इस इकाई में सदस्य होंगे।

राजस्थान पुलिस द्वारा अधिनियम की धारा 107 एवं आदर्श नियम के नियम 86 के तहत् बच्चों से जुड़े पुलिस के विभिन्न कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु राज्य के सभी पुलिस जिले (जी. आर.पी. सहित) में ''विशेष किशोर पुलिस इकाई'' (Special Juvenile Police Unit) की स्थापना तथा प्रत्येक पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (Child Welfare Police Officer) की नियुक्ति की गई है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा जिले में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि से संघर्षरत बच्चों पर होने वाले अत्याचारों एवं शोषण की रोकथाम एवं ऐसे बच्चों के प्रकरणों में बाल मैत्री प्रक्रिया के तहत् कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इकाई द्वारा अन्य

स्वयंसेवी संगठनों, पंचायतों, ग्राम सभा एवं सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व बच्चों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों, शोषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

अधिनियम में बच्चों के साथ पुलिस कार्मिक द्वारा शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करने के मामले में उसे नौकरी से बर्खास्त करने तथा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के प्रावधान भी किये गये हैं। अधिनियम के अनुसार पुलिस थानों के सूचना पट्ट पर पुलिस अधीक्षक, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिले की बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्यगण के नाम, फोन न. की सूचना अंकित कराई जानी आवश्यक है।

विशेष किशोर पुलिस इकाई के दायित्व निम्नानुसार हैं-

- देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों से संबंधित आंकड़े एवं विवरण संधारित करना।
- मासिक स्तर पर इकाई की समीक्षा बैठक आयोजित कर बच्चों के प्रकरणों में की गई कार्यवाही, अनुसंधान एवं प्रकरणों में अनुसंधान के लम्बित होने की समीक्षा करना।
- बच्चों के विरूद्ध अपराध के प्रकरणों एवं विधि से संघर्षरत बच्चों में निर्धारित समयावधि में अनुसंधान सुनिश्चित करना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों हेतु बालकों से संबंधित मामलों से निपटाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- बाल यौन शोषण के मामलों में प्रपत्र क एवं ख का निष्पादन सुनिश्चित करना।
- बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार सामाजिक अनुसंधान कर रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करना।
- बच्चों के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण एवं क्रूरता के प्रकरणों में बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हुए वयस्क अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी एवं कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- अधिकार क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनों की सूची तैयार कर समन्वय करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सामुदायिक संगठनों के साथ मिलकर बच्चों के खिलाफ हिंसा, उपेक्षा एवं शोषण के मामलों की पहचान एवं कार्यवाही करना।
- बच्चों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करना।
- बच्चों के प्रकरणों में बाल मैत्री प्रक्रिया के तहत् पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित करना।

2
अध्याय

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका

अनाथ बच्चे के प्रकरण में भूमिका–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (48) के अनुसार अनाथ बच्चों की श्रेणी में ऐसे बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिनके जैविक या दत्तक माता–पिता या विधिक संरक्षक नहीं हैं या विधिक संरक्षक हैं, लेकिन बच्चे की देखरेख करने के लिए इच्छुक/समर्थ नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों का पालन–पोषण एवं उनकी बेहतर देखभाल एक चुनौती बन जाती है।

अधिनियम की धारा 2 (14) (vi) के अनुसार ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता नहीं हैं तथा कोई भी उनकी देखभाल करने का इच्छुक नहीं है या माता–पिता द्वारा परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ऐसे बच्चों के मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है: –

1. ऐसे बच्चों के बारे में समुदाय के जागरूक व्यक्तियों/ जनप्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त करना।
2. ऐसे बच्चों के प्रकरणों में बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा बच्चे में विश्वास की भावना पैदा करना।
3. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया है, का विवरण दैनिक डायरी में दर्ज करना।

4. बच्चे के साथ यदि कोई अपराध घटित हुआ है, तो अपराध के अनुसार F.I.R. दर्ज कर जांच करना।
5. बच्चे का विवरण https://missionvatsalya.wcd.gov.in/ पोर्टल पर अपलोड करना।
6. बच्चे को 24 घण्टे के भीतर बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के पश्चात ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रपत्र 17 में वांछित विवरण सहित

प्रस्तुत करना।

7. यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से कम है तथा वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो 24 घंटे के भीतर ऐसे बच्चे का लिखित विवरण मय फोटो समिति को प्रेषित करना तथा बच्चे के चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होते ही उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के प्रमाण-पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

8. यदि किसी कारण से बच्चे को समिति या समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संचालित बाल देखरेख संस्थान में रखा जायेगा तथा अगले दिन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। किसी भी स्थिति में बच्चे को रात्रि के समय पुलिस थाने में नहीं रखा जायेगा।

9. समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।

10. बालिकाओं के प्रकरण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना तथा ऐसे प्रकरणों में महिला पुलिस कर्मचारी के साथ बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

11. बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता तथा बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्यवाही सुनिश्चित करना।

परित्यक्त बच्चे के प्रकरण में भूमिका-

पारिवारिक कलह या आपसी अनबन/मतभेद या बच्चे के मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकलांग होने की स्थिति में माता-पिता/अभिभावक/देखभालकर्ता या सौतेले माता-पिता द्वारा बच्चों को परित्याग/घर से निकाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त लिंग भेदभाव के चलते बालिकाओं के साथ एवं अवैध संबंधों से जन्मे नवजात शिशुओं के साथ भी इस प्रकार की क्रूरता की घटनाएं देखने को मिलती है।

अधिनियम की धारा 2 (14) (vi) के अनुसार ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता नहीं हैं तथा कोई भी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या माता-पिता द्वारा परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऐसे बच्चों के मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में भूमिका-

1. ऐसे बच्चे के बारे में जानकारी मिलने पर आवश्यक रूप से तत्काल ऐसे बच्चे तक पहुँचना एवं उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

2. ऐसे बच्चों से उनके परिवार अथवा घर के बारे में संवेदनशीलता से जानकारी प्राप्त करना।

3. ऐसे बच्चों की सही उम्र सत्यापित करना एवं विवरण दैनिक डायरी में डी.डी. एन्ट्री करना तथा उनका विवरण संधारित करना।

4. चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के काउंसलर के सहयोग से

बच्चे की काउंसलिंग कराना तथा बच्चे में विश्वास की भावना पैदा करना।

5. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया है, का विवरण लेखबद्ध करना।
6. बच्चे का विवरण https://missionvatsalya.wcd.gov.in/ पोर्टल पर अपलोड करना।
7. ऐसे बच्चों को 24 घण्टे के भीतर जिले की बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के अतिरिक्त किसी भी समय ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रपत्र 17 में आवश्यक विवरण सहित प्रस्तुत करना।
8. यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से कम है तथा वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो 24 घंटे के भीतर ऐसे बच्चे का विवरण दर्शाने वाली रिपोर्ट मय फोटो बाल कल्याण समिति को प्रेषित करना तथा बच्चे के चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होते ही उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के प्रमाण-पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
9. यदि किसी कारण से बच्चे को समिति या समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संचालित बाल देखरेख संस्थान में रखा जायेगा तथा अगले दिन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
10. किसी भी स्थिति में बच्चे को रात्रि के समय पुलिस थाने में नहीं रखा जायेगा।
11. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना
12. बालिकाओं के प्रकरण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना तथा ऐसे प्रकरणों में महिला पुलिस कर्मचारी के साथ बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
13. यदि बच्चा विशेष आवश्यकता वाला प्रतीत होता है, तो समिति को इस संबंध में अवगत कराना।
14. यदि बच्चे के माता-पिता बच्चे के पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं, तो इससे समिति को अवगत कराना।

आपराधिक परिपेक्ष्य के संबंध में भूमिका-

1. बच्चे के साथ कोई अन्य अपराध घटित हुआ है, तो अपराध के अनुसार F.I.R. दर्ज कर जांच करना।
2. यदि जांच/अनुसंधान में पता चलता है कि माता-पिता द्वारा ऐसे किन्हीं कारणों की वजह से बच्चे का परित्याग किया है, जो नियंत्रण से परे है, तो माता-पिता के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर)दर्ज नहीं की जायेगी।
3. समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना ।
4. यदि किसी बच्चे के परित्याग के प्रकरणों में कोई पुलिस कार्यवाही विचाराधीन है, तो उसे अधिकतम 10 दिवस के भीतर पूर्ण कर उसके नतीजे से बाल कल्याण समिति को अवगत कराना।

5. बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता तथा बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्यवाही करना।

गुमशुदा या घर से पलायित/भागे हुए बच्चे के प्रकरण में भूमिका-

अधिनियम की धारा 2(14)(vii) गुमशुदा या घर से पलायित/भागा हुआ बच्चा, जिसके माता-पिता को युक्तियुक्त जांच के पश्चात भी नहीं मिल सका है, को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 92 के तहत् गुमशुदा बच्चे से अभिप्राय ऐसे बच्चे से है, जो किसी परिस्थिति/कारण से अपने माता-पिता, विधिक अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थान की अभिरक्षा से गायब है। जब तक ऐसे बच्चे को ढूंढ/तलाश नहीं लिया जाता या उसकी सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित नहीं किया जाता है, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना जायेगा। ऐसे बच्चों के मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

आपराधिक परिपेक्ष्य में भूमिका-

1. किसी गुमशुदा बच्चे के बारे में शिकायत प्राप्त होने पर परिस्थिति के अनुरूप अपहरण एवं दुर्व्यापार का अपराध मानते हुए तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना।
2. बच्चे को त्वरित खोजने हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बाल कल्याण समिति को प्रथम सूचना रिपोर्ट अग्रेषित करना।
3. गुमशुदा बच्चे का नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट (एम.पी.आर.) तैयार कर जिला गुमशुदा व्यक्ति प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मीडिया एवं संबंधित संस्थाओं को प्रेषित करना।
4. https://missionvatsalya.wcd.gov.in/ पोर्टल पर सूचना अपलोड करने के बाद गुमशुदा बच्चे के माता-पिता या अभिभावक का पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति डाक द्वारा निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना।
5. गुमशुदा बच्चे की फोटो मय शारीरिक विवरण पर्याप्त संख्या में गुमशुदगी की सूचना प्रकाशित कराना।
6. प्रमुख स्थानों पर गुमशुदगी की सूचना चस्पा कर तथा सोशल नेटवर्क पोर्टल, संक्षिप्त सन्देश सेवा अलर्ट एवं सिनेमा घरों में स्लाइड तथा उद्घोषणा के माध्यम से बच्चे की गुमशुदगी का प्रचार-प्रसार करना।

7. गुमशुदा बच्चों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते ही बच्चे के माता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति या विद्यालय/सस्थान/एजेन्सी जहां से बच्चा लापता हुआ है, से बच्चे के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख एकत्रित करना एवं उनका परीक्षण करना।

8. गुमशुदा के बारे में रेलवे पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन सेवा, स्थानीय निवासियों/दुकानदारों एवं गुमशुदा बच्चे के सहपाठी/मित्र रिश्तेदार, परिवारजन व अन्य व्यक्ति जो सूचना दे सकते हैं, से पूछताछ करना।

9. गुमशुदा बच्चे के परिजनों की सहमति से बच्चे द्वारा उपयोग में लिए गए कम्प्यूटर, लेपटॉप, मोबाईल फोन, डायरी, एटीएम कार्य इत्यादि से संबंधित सूचना एकत्रित करना तथा उनका विश्लेषण करना।

10. प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिजनों द्वारा यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति पर संदेह का उल्लेख किया गया है, तो उक्त संबंध में विस्तृत अनुसंधान करना।

11. बालिका के गुमशुदा होने की स्थिति में अनुसंधान में महिला पुलिसकर्मी की सहायता लेना तथा बड़े शहर/ कस्बों में स्थानीय स्तर पर संचालित रेड लाईट एरिया में भी खोजबीन कर बालिका की तलाश करना।

12. स्थानीय स्तर पर निर्माणाधीन स्थलों, अनुपयुक्त भवनों एवं मनमोहक स्थान, जैसे सिनेमा घरों, शॉपिंग मॉलों, पार्कों, गेम्स पार्लर सहित अन्य संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर उन पर निगरानी रखना।

13. जहां से बच्चा गायब हुआ है, के आस-पास के क्षेत्र, यातायात के प्रमुख केन्द्र यथा रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा एवं संभावित मार्गों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों सहित अन्य स्थानों पर लगे क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच करना तथा बच्चे की सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

14. आस-पास के अस्पतालों/औषधालयों का निरीक्षण कर तथा वहां पर भर्ती मरीजों एवं घायल व्यक्तियों तथा नजदीकी पुलिस थानों में मिली अज्ञात लाशों से भी बच्चे का फोटो एवं विवरण का मिलान कराना।

15. गुमशुदा बच्चे के परिजनों से निरन्तर सम्पर्क रखना, अगर कोई व्यक्ति परिजनों को गुमशुदा बच्चे के अपहरण की सूचना/फिरौती की मांग या अन्य कोई सुराग देता है, तो त्वरित कार्यवाही करना।

16. बच्चे के गुम होने की 01 माह की अवधि में गुमशुदा बच्चे के संबंध में सूचना देने वालों के लिए ईनाम की घोषणा करना।

17. पड़ोसी राज्यों के अपराध रिकोर्ड ब्यूरों एवं सीमावर्ती पुलिस के थानाधिकारियों एवं उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी पुलिस चौकियों के प्रभारियों को गुमशुदा बच्चों का विवरण प्रेषित करना तथा संबंधितों से नियमित वार्तालाप कर, बच्चे का फॉलोअप सुनिश्चित करना।

18. यदि बच्चे को 4 माह की अवधि तक खोजा नहीं जा सका है, तो मामले को अग्रिम अन्वेषण हेतु जिले की मानव तस्करी विरोधी इकाई (यूनिट) को हस्तांतरित करना, इकाई द्वारा अन्वेंषण में हुई प्रगति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रत्येक माह रिपोर्ट भेजी जायेगी।

19. यदि गुमशुदा बच्चे को खोज लिया जाता है, तो–

यदि बच्चे के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार/शोषण हुआ है, तो इस संबंध में जांच/अनुसंधान कर संबंधित न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

यदि बच्चा किसी संगठित गिरोह या बंधुआ मजदूरी कराने वाले गिरोहों के संपर्क में आया है, तो बच्चे से ऐसे गिरोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा तत्काल अपराध शाखा या जिला स्तर पर गठित विशेष दल (स्पेशल टीम) को सूचित करना।

देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में भूमिका–

1. यदि गुमशुदा बच्चे को खोज लिया जाता है, तो–

- गुमशुदा बच्चे को सीधे माता-पिता या अभिभावक को सुपूर्द नहीं करना। ऐसे बच्चों को 24 घण्टे के भीतर जिले की बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के अतिरिक्त किसी भी समय ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रपत्र 17 में आवश्यक विवरण सहित प्रस्तुत करना।
- यदि बच्चे की आयु 2 वर्ष से कम है तथा वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो 24 घंटे के भीतर ऐसे बच्चे का विवरण दर्शाने वाली रिपोर्ट मय फोटो समिति को प्रेषित करना तथा बच्चे के चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होते ही शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के प्रमाण-पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- यदि किसी कारण से बच्चे को समिति या समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संचालित बाल देखरेख संस्थान में रखा जायेगा तथा अगले दिन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- किसी भी स्थिति में बच्चे को रात्रि के समय पुलिस थाने में नहीं रखा जायेगा।
- गुमशुदा बच्चे के वापस मिलने पर समिति के आदेशानुसार तत्काल चिकित्सा परीक्षण कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना तथा पुनर्वास में समिति को सहयोग उपलब्ध कराना।
- जिला बाल संरक्षण इकाई से समन्वय कर बच्चे एवं उसके परिवार को काउंसलिंग एवं अन्य सहायक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा समिति के आदेशानुसार बच्चे को अनुरक्षण उपलब्ध कराना।

परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चे के शोषण के प्रकरण में भूमिका-

विगत कुछ वर्षों में माता-पिता या संरक्षक या साझी गृहस्थी में रहने वाले रिश्तेदार/अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों के साथ शोषण करने तथा शोषण करने या मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देने की घटनाएं सामने आयी हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) (iii) के अनुसार ऐसे निम्नलिखित परिस्थितियों में बच्चें को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना गया है-

जहां माता-पिता/संरक्षक/अभिभावक या साझी गृहस्थी में रहने वाले व्यक्ति द्वारा बच्चे को-

- क्षति पहुचाई गई है या शोषण किया गया है या उपेक्षा की गई है अथवा बच्चों के संरक्षण से संबंधित तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि का उल्लंघन किया गया है या
- मारने या क्षति पंहुचाने या शोषण करने या दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है या धमकी को क्रियान्वित करने युक्तियुक्त संभावना है या
- ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य बच्चे की हत्या/वध या उपेक्षा या शोषण किया गया है, तथा वर्तमान में साथ रह रहे बच्चे की हत्या/वध या उपेक्षा या दुर्व्यवहार या शोषण किये जाने की युक्तियुक्त संभावना है।

अधिनियम की धारा 75 के अनुसार यदि बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे पर प्रहार/हमला किया जाता है या बच्चे का परित्याग किया जाता है या उत्पीड़न किया जाता है या जान बूझकर बच्चे की उपेक्षा की जाती है या बच्चे को प्रहार/हमला या परित्याग या उत्पीड़न करने के लिए प्राप्त करता है, जिससे बच्चे को शारीरिक या मानसिक कष्ट होने की संभावना है, को बच्चों के प्रति क्रूरता का अपराध माना गया है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। ऐसे प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है -

देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में भूमिका-

1. ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी मिलने पर आवश्यक रूप से तत्काल ऐसे बच्चों तक पहुँचना तथा ऐसे बच्चों को तत्काल संरक्षण में लिया जाकर परिवार से अलग करना एवं बच्चे को विश्वास में लेना।
2. ऐसे बच्चों के संबंध में सूचना प्राप्त होने या ऐसे बच्चों के पाये जाने पर दैनिक डायरी में ऐसे बच्चों की डी.डी. एन्ट्री करना तथा उनका विवरण संधारित करना।
3. बच्चे की सही उम्र सत्यापन करने हेतु बच्चे के जन्म संबंधी दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं कक्षा की अंकतालिका, नगर निगम या पंचायत द्वारा इस संबंध में जारी दस्तावेज) इत्यादि एकत्रित करना।

4. बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से बच्चे की काउंसलिंग कराना।
5. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया है, का विवरण लेखबद्ध करते हुए धारा 31 के तहत बच्चे को 24 घण्टे के भीतर बाल कल्याण समिति कार्यालय समय के अतिरिक्त किसी भी समय ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रपत्र 17 में आवश्यक विवरण सहित प्रस्तुत करना।
6. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।
7. यदि बच्चा चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो समिति के आदेशानुसार बच्चे का चिकित्सा उपचार कराना।

आपराधिक परिपेक्ष्य में भूमिका-

1. बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाते हुए बच्चे के पंसदीदा एवं बाल अनुकूल स्थान पर बच्चे के बयान दर्ज करना।
2. बच्चे को किसी भी स्थिति में थाने स्तर पर नहीं रखना तथा किसी भी परिस्थिति में अपराधी एवं पीड़ित बच्चे को आमने-सामने नहीं लाना।
3. ऐसे बच्चों से उनके परिवार अथवा घर के बारे में संवेदनशीलता से जानकारी प्राप्त करना।
4. संज्ञेय अपराधों के मामलों में आरोपी/अपराधी व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार करना।
5. बच्चे के विरूद्ध असंज्ञेय अपराध के मामलों सूचना/शिकायत देने वाले व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में जाने के लिए कहना।
6. बच्चे के विरूद्ध असंज्ञेय अपराध के मामलों दैनिक डायरी में दर्ज करना तथा दैनिक डायरी का विवरण पाक्षिक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करना।
7. न्यायालय के आदेश पर मामले का अनुसंधान करना एवं आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए विधिक कार्यवाही करना।
8. यदि किसी बच्चे के साथ 2 या 2 से अधिक अपराध किये गये है, जिनमें से कम से कम 1 अपराध संज्ञेय है, तो ऐसे मामले को संज्ञेय मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
9. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना।
10. यदि अनुसंधान के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य बच्चे के साथ कोई अपराध किये जाने की जानकारी मिलती है, तो संबंधित धाराओं का समावेश करते हुए बाल न्यायालय में चालान पेश करना।
11. पीड़ित बच्चे की आवश्यक काउंसलिंग एवं सामान्य स्थिति में आने के उपरान्त ही संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के बयान दर्ज कराना।

12. आवश्यकतानुसार पीड़ित बच्चे के अन्य भाई-बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

13. पीड़ित बच्चे को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता एवं सपोर्ट पर्सन की सेवाएं उपलब्ध कराना।

लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चे के प्रकरण में भूमिका-

देश में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक/बालिकाओं के साथ विभिन्न स्तर पर हो रहे यौन शोषण यथा बलात्कार, लैंगिक शोषण/हिंसा, लैंगिक प्रताड़ना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील कार्य बच्चों से करवाना, अश्लील टिप्पणियां एवं गालियां देना, अश्लील सामग्री का संधारण, लैंगिक उत्पीड़न/शोषण हेतु बच्चों का दुर्व्यापार इत्यादि से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ''लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) (viii) के तहत् ऐसे बच्चे जिनका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन से दुर्व्यवहार, उत्पीड़न/शोषण किया गया है या किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है, को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अधिनियम के तहत् देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की समुचित देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु व्यापक प्रावधान किये गये हैं।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 के नियम 4 (4) के अनुसार विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं स्थानीय पुलिस को यह आशंका है, कि बच्चे के साथ अधिनियम में

वर्णित कोई अपराध बच्चे के परिवार के किसी सदस्य द्वारा या एक छत के नीचे (साक्षी गृहस्थी में) रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या किये जाने की संभावना है अथवा अधिनियम में वर्णित कोई अपराध बाल देखरेख संस्थान में रह रहे बच्चे के साथ हुआ है या किसी बेघर (सड़क पर रहने वाले) एवं माता-पिता की सहायता के रह रहे बच्चे साथ हुआ है, तो ऐसे बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना जायेगा।

बच्चों के साथ लैगिंक दुर्व्यवहार के मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

आपराधिक परिपेक्ष्य में भूमिका-

1. बच्चे के साथ यौन शोषण होने या इसकी आशंका होने की जानकारी मिलने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 के तहत तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई.आर.) दर्ज करना तथा आरोपी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करना।
2. अधिनियम के तहत् बच्चों के साथ लैंगिक हिंसा/शोषण की शिकायत कोई भी कर सकता है।शिकायत करने के लिए पीड़ित बच्चे का थाने पर आना आवश्यक नहीं है।
3. लैंगिक हिंसा/शोषण की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा स्वयं का नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर तथा अपने उच्च अधिकारी नाम, पद एवं मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराना।
4. 24 घंटे के अंदर अपराध स्थल का दौरा कर विस्तृत रूप से साक्ष्य एकत्रित करना तथा यदि कोई घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, तो उसके भी बयान दर्ज करना।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घण्टे के भीतर इसकी प्रति विशेष न्यायालय को प्रेषित करना।
6. पीड़ित बच्चें के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजना।
7. बच्चे की सही उम्र सत्यापन करने हेतु बच्चे के जन्म संबंधी दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं कक्षा की अंकतालिका, नगर निगम या पंचायत द्वारा इस संबंध में जारी दस्तावेज) इत्यादि एकत्रित करना।
8. पीड़ित बच्चें के बयान उसके घर या उसके अनुकूल स्थान पर उसके परिवारजन/किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है/ सपोर्ट पर्सन (Support Person) की उपस्थिति में दर्ज करना।
9. यदि परिवार के सदस्य द्वारा बच्चे के साथ ऐसा अपराध किया गया है, तो संबंधित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि/सपोर्ट पर्सन (Support Person) की उपस्थिति में बच्चे के बयान दर्ज करना तथा बयान एवं कार्यवाही के दौरान परिवार के सदस्यों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देना।

10. पीड़ित बच्चे के बयान को अक्षरशः (हुबहू) दर्ज करना तथा ऑडियों विजुअल रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना।

11. पीड़ित बच्चों के विरुद्ध अन्य अपराध होने की स्थिति में संबंधित अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्रभावी कार्यवाही करना।

12. यौन शोषण के प्रकरणों में अधिकतम 01 माह में अनुसंधान पूरा कर चालान को विशेष न्यायालय में पेश करना।

13. पीड़ित बच्चे या उसके परिवार को अपराधी व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा डराया अथवा धमकाया जाने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधितों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत् अलग से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर कार्यवाही करना।

14. पीड़ित बच्चों के प्रकरणों में आवश्यकतानुरूप संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से निःशुल्क विशेष शिक्षक/परामर्शदाता/अनुवादक इत्यादि की सेवाएं प्राप्त करना।

15. पीड़ित बच्चे/परिवार को आरोपी की जमानत अर्जी का नोटिस तामील करना एवं उसे जमानत अर्जी की सुनवाई की तारीख की सूचना देना।

16. पीड़ित बच्चे एवं उसके परिवार को समय-समय पर प्रकरण की नवीनतम स्थिति से अवगत कराना।

17. पुलिस द्वारा बच्चे या उसके परिवारजन को मुआवजे से संबंधित प्रावधान एवं प्रक्रिया से अवगत कराना।

18. थानाधिकारी द्वारा तत्काल चिकित्सा देखभाल हेतु राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 के तहत् अंतरिम प्रतिकर/मुआवजा हेतु प्रमाण-पत्र जारी करना।

19. पीड़ित बच्चे की निजता एवं गोपनीयता संरक्षित रखना तथा किसी स्तर पर पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक नहीं करना।

20. बाल यौन हिंसा की शिकायत करने वाले व्यक्ति एवं बच्चे को आवश्यकतानुसार सुरक्षा उपलब्ध कराना।

21. पीड़ित बच्चे या बच्चे के माता-पिता को चालान/अन्तिम रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराना तथा पुलिस कार्यवाही एवं अनुसंधान के दौरान बाल मैत्री प्रक्रिया का पालन करना।

22. POCSO अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करना।

देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में भूमिका-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घण्टे के भीतर इसकी प्रति बाल कल्याण समिति को प्रेषित करना।

2. बच्चे एवं उसके माता-पिता को प्रथम सूचना रिपोर्ट की निःशुल्क प्रति एवं पोक्सो नियम, 2020 के तहत् प्रपत्र-क में वर्णित पीड़ित के अधिकारों के बारे में जानकारी देना।

3. बाल कल्याण समिति को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ पोक्सो नियम, 2020 में निर्धारित प्रपत्र-ख में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराना।

4. यौन शोषण से पीड़ित बच्चे को तत्काल नजदीकी जिला अस्पताल में उपचार कराना तथा बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

5. यदि ऐसा अपराध बच्चे के परिवार के किसी सदस्य द्वारा या एक छत के नीचे (साक्षी गृहस्थी में) रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या किये जाने की संभावना है अथवा अधिनियम में वर्णित कोई अपराध बाल देखरेख संस्थान में रह रहे बच्चे के साथ हुआ है या किसी बेघर (सड़क पर रहने वाले) एवं माता-पिता की सहायता के रह रहे बच्चे साथ हुआ है, तो ऐसे बच्चे को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना जायेगा तथा ऐसे बच्चे को 24 घंटे के भीतर बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में निर्धारित प्रपत्र -17 में आवश्यक विवरण सहित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

6. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।

7. बच्चे के माता-पिता या संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा या विश्वास करता है/ संबंधित या सरकारी संगठन के प्रतिनिधि/सपोर्ट पर्सन/बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त समर्थन व्यक्ति (Support Person) की उपस्थिति में पीड़ित बच्चे की चिकित्सा जांच एवं उपचार कराना।

पीड़ित बालिका के गर्भवती होने की स्थिति में पुलिस की भूमिका-

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 यथा संशोधित अधिनियम, 2021 तथा गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम, 2003 यथा संशोधित नियम, 2021 के अन्तर्गत महिला के प्रजनन अधिकार को ध्यान में रखते हुये विशिष्ट परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति प्रदान की गई है। गर्भावस्था में चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत निम्न परिस्थितियों के अनुरूप महिला/ बालिका के गर्भपात की कार्यवाही है-

- 20 सप्ताह तक के गर्भ होने की स्थिति में 01 पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श उपरान्त
- 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भ होने की स्थिति में 02 पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श उपरान्त
- 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति से गर्भपात कराया जा सकता है।

लैंगिक अपराध/दुर्व्यवहार से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के 24 सप्ताह तक के गर्भ होने की स्थिति में गर्भपात कराये जाने हेतु किसी न्यायालय/प्राधिकारी से आदेश अपेक्षित नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में बालिका एवं उनके परिजन/संरक्षण की सहमति से गर्भपात करवाया

जा सकता है।

पीड़ित बालिका के गर्भवती होने की स्थिति में पुलिस की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है-

1. अनुसंधान अधिकारी द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के दौरान गर्भधारण के संबंध में जानकारी करना।
2. बालिका के गर्भवती होने की स्थिति में बालिका एवं उसके परिजन/संरक्षक को आवश्यक परामर्श उपलब्ध कराना।
3. जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से बालिका एवं उसके परिजन/संरक्षक को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग उपलब्ध कराना।
4. यदि पोक्सों नियम 4 के तहत् देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिका के प्रकरण में बालिका के गर्भवती होने की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति को उपलब्ध कराना।
5. बालिका एवं उसके माता-पिता/संरक्षक को गर्भपात से संबंधित प्रावधानों एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करना।
6. गर्भपात एवं प्रसव के समय मौजूद रहना तथा फोरेन्सिक साक्ष्य संरक्षित रखना तथा जांच के लिए प्रेषित करना।
7. बालिका के गर्भधारण/गर्भपात/प्रसव की वस्तुस्थिति को अनुसंधान में सम्मिलित करना तथा विशेष न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराना, ताकि पीड़ित बालिका को प्रतिकर/मुआवजा प्राप्त हो सके।

बाल दुर्व्यापार से पीड़ित बच्चे के प्रकरण में भूमिका-

बाल दुर्व्यापार संगठित अपराध होने के साथ-साथ बाल अधिकारों का उल्लंघन भी है। बच्चों का दुर्व्यापार मुख्यतः वैश्यावृति, लैंगिक दुर्व्यवहार, श्रम, दास प्रथा, घरेलू कार्य, विवाह, मानव अंगों की खरीद- फरोख्त तथा विभिन्न कार्यों में बालिकाओं के नियोजन के लिए की जाती है।

राजस्थान बाल दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) में स्त्रोत एवं गन्तव्य स्थल दोनों है। राज्य में जैम पॉलिशिंग, आरी-तारी, कारपेट बनाने, ईट भट्टों, घरेलू श्रमिक, कचरा बिनने, भिक्षावृत्ति, बीड़ी उद्योग, खदानो, कृषि व्यवसाय, चाय की थड़ियों एवं ढाबों सहित अनेक कार्यो में बच्चों के नियोजन हेतु पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखण्ड राज्य से बच्चों को लाया जाता

है। विगत कुछ वर्षों से दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बासवाड़ा जिले से बड़ी संख्या में बी. टी. कॉटन व अन्य कार्यो हेतु बच्चों का दुर्व्यापार कर गुजरात ले जाया जा रहा है। उक्त अतिरिक्त राज्य में बालिकाओं का लिंगानुपात कम होने के कारण विवाह एवं अन्य प्रयोजनों के लिए बालिकाओं की खरीद-फरोख्त एवं अपहरण के मामले भी सामने आये हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 143 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या अंगों का बलात् अपसारण के लिए-

- धमकी/बल या किसी भी अन्य प्रकार की प्रतीड़न/अपहरण/कपट/शक्ति का दुरूपयोग/उत्प्रेरणा द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करना, परिवहनित करना, संश्रय देना, स्थानांतरित करना एवं गृहित करना या
- भर्ती/परिवहनित/संश्रित/स्थानांतरित/गृहित किये गये व्यक्ति पर नियंत्रण रखना या
- ऐसे व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान/फायदा देना या प्राप्त करना मानव दुर्व्यापार के रूप में परिभाषित किया गया है। दुर्व्यापार के अपराध में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 14 (ix) के तहत् दुर्व्यापार के शिकार एवं दुर्व्यापार में लिप्त बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अधिनियम की धारा 81 के तहत् यदि कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन के लिए बालकों का क्रय-विक्रय करता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। यदि ऐसा अपराध बच्चे के माता-पिता, संरक्षक द्वारा किया जाता है तो, उसे न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किये जाने के प्रावधान किये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में भूमिका-

1. सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर तथा स्वसंज्ञान लेते हुए थाने क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में कार्यरत बाल श्रमिकों की पहचान कर मुक्त कराना तथा बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
2. सूचना प्राप्त होने या ऐसे बच्चों के पाये जाने पर दैनिक डायरी में ऐसे बच्चों की डी.डी. एन्ट्री की जायेगी तथा उनका विवरण संधारित किया जायेगा।
3. बच्चे में विश्वास की भावना पैदा करना तथा उसके परिवार/घर के बारे में तथा कितने समय से कार्य कर रहा हैं, के बारे में संवेदनशीलता से जानकारी प्राप्त करना।
4. बच्चे की सही उम्र सत्यापन करने हेतु बच्चे के जन्म संबंधी दस्तावेज (जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं कक्षा की अंकतालिका, नगर निगम या पंचायत द्वारा इस संबंध में जारी दस्तावेज)

इत्यादि एकत्रित करना।

5. पीड़ित बच्चे को 24 घंटे के भीतर प्रपत्र 17 में वांछित विवरण सहित बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के अतिरिक्त ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना।

6. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।

आपराधिक परिपेक्ष्य में भूमिका-

1. किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रासंगिक धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करना।

2. बाल दुर्व्यापार के प्रकरणों में आरोपी व्यक्तियों के विरूद्ध बच्चों को मुक्त कराये गये स्थान/गायब होने के स्थान/बच्चे के वर्तमान निवास वाले स्थान से संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)दर्ज करायी जा सकती है। यदि बच्चा रेलवे परिसर में मुक्त कराया गया है, तो राजकीय रेलवे पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

3. चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से बच्चे की काउंसलिंग कराना तथा किसी भी स्थिति में बच्चे को रात्रि के समय पुलिस थाने में नहीं रखा जायेगा।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बाल कल्याण समिति एवं मानव तस्करी विरोधी इकाई तथा प्रकरण में समर्थन व्यक्ति (Support Person) की नियुक्ति हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना।

5. प्रकरण में समयबद्ध जांच/अनुसंधान करना तथा बाल दुर्व्यापार में लिप्त व्यक्तियों/ नियोक्ताओं एवं दलालों के खिलाफ समयबद्ध कार्यवाही करना।

6. यदि बच्चों के साथ अन्य कोई अपराध किया गया है, तो जांच कर विधिक कार्यवाही करना।

7. पीड़ित बच्चे के परिवारजन/किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है, की उपस्थिति में बच्चे के पसंदीदा स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के तहत् बयान दर्ज करना।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज किये जाने के 15 दिन के भीतर आवश्यक जांच/अनुसंधान पूर्ण कर (चिल्ड्रन कोर्ट)बाल न्यायालय में चालान पेश करना।

9. पीड़ित बच्चे की आवश्यक काउंसलिंग एवं सामान्य स्थिति में आने के उपरान्त ही संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के तहत् बयान दर्ज किये जायेंगे।

10. बच्चे का विवरण तत्काल https://missionvatsalya.wcd.gov.in/ पोर्टल पर संधारित करना।

11. बच्चे के प्रकरण में आवश्यकतानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, अनुवादक, परामर्शदाता, इत्यादि की सेवाएं प्राप्त करना।

12. बाल दुर्व्यापार में अन्य राज्य के व्यक्तियों के लिप्त होने पर इसकी रोकथाम में संबंधित राज्य की मानव दुर्व्यापार विरोधी यूनिट/स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त करना।

13. पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब होने की स्थिति में पीड़ित बालक-बालिका एवं उनके परिवारों को प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना।

बाल श्रमिक/श्रम विधियों का उल्लंघन करने वाले बच्चे के प्रकरण में भूमिका-

राज्य में विषम परिस्थितियों में मौजूद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे विभिन्न क्षेत्रों जैसे, जैम पॉलिशिंग, आरी-तारी, कारपेट बनाने, ईंट भट्टों, घरेलू श्रमिक, कचरा बिनने, भिक्षावृत्ति, बीड़ी उद्योग, खदानो, कृषि व्यवसाय, चाय की थड़ियों एवं ढाबों सहित अनेक कार्यो में लिप्त हैं। उक्त व्यवसायों मे स्थानीय बच्चों सहित पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखण्ड इत्यादि राज्य के बच्चे भी बड़ी संख्या में सम्मिलित हैं। इन बच्चों को बंधुआ बनाकर लगभग 10-16 घंटों तक कार्य करवाया जा रहा है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ''की धारा 2 (14) (ii) के तहत् अधिनियम एवं तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन करने वाले बच्चों को

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अधिनियम की धारा 79 के तहत् बालक-बालिकाओं का शोषण करना, जिसमें कार्य (श्रम) करवाना, आर्थिक लाभ के लिए लोक स्थानों पर मनोरंजन करवाना, बंधुआ रखना, उसके उपार्जनों को निर्धारित करना तथा उसके उपार्जन को स्वयं के लिए उपयोग करना अपराध माना गया है। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा एवं 1 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किये जाने का प्रावधान किये गये हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 146 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध श्रम करने के लिए मजबूर करना अपराध माना गया है, ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने के प्रावधान किये गये हैं।

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधित अधिनियम, 2016 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाना तथा 14 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जोखिमपूर्ण कार्य करवाना संज्ञेय अपराध माना गया है। अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्कूल समय के अलावा जोखिमपूर्ण कार्यो के अतिरिक्त परिवार एवं पारिवारिक प्रतिष्ठानों में मदद/सहायता कर सकते हैं।

यदि कोई माता-पिता/संरक्षक 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से स्कूल समय में परिवार एवं पारिवारिक प्रतिष्ठानों में कार्य करवायेगा या 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे से जोखिमपूर्ण कार्यो में नियोजित करेगा, तो ऐसा करने वाले माता-पिता/संरक्षक को पहले अपराध के लिए हिदायत पर छोड़ा जायेगा तथा उनके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि किसी माता-पिता/संरक्षक द्वारा ऐसे अपराध की पुनर्रावृत्ति की जाती है, तो अधिकतम 10,000 रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

यदि किसी व्यक्ति/नियोक्ता 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कार्य में नियोजित करेगा या 14 से 18 वर्ष की उम्र बच्चे को जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 6 महीने के कारावास, जिसे 2 वर्ष तक बढाया जा सकता है या न्यूनतम 20,000 से अधिकतम 50,000 तक के जुर्माने या सजा अथवा जुर्माना दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे अपराध की पुनर्रावृत्ति की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

देखभाल एवं संरक्षण के संबंध में भूमिका-

1. बाल श्रम की सूचना मिलने पर तत्काल ऐसे स्थान पर पहुंच कर कार्यरत बाल श्रमिकों की पहचान कर मुक्त कराना।
2. बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं बच्चे में विश्वास की भावना पैदा करते हुए उसके परिवार अथवा घर तथा अन्य बाल श्रमिकों के बारे में संवेदनशीलता से जानकारी प्राप्त करना।

3. बच्चे की उम्र से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करना तथा बच्चे की सही उम्र सत्यापित करना।

4. दैनिक डायरी में ऐसे बच्चों की डी.डी. एन्ट्री करना तथा उनका विवरण संधारित करना।

5. चाइल्ड हेल्पलाइन अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से बच्चे की काउंसलिंग कराना।

6. पीड़ित बच्चे को 24 घंटे के भीतर बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया है, का विवरण लेखबद्ध कर प्रपत्र 17 में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना। किसी भी स्थिति में बच्चे को रात्रि के समय पुलिस थाने में नहीं रखा जायेगा।

7. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।

8. पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब होने की स्थिति में पीड़ित बालक-बालिका एवं उनके परिवारों को प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना।

आपराधिक परिपेक्ष्य में भूमिका-

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियोजन) संशोधित अधिनियम, 2016, एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रासंगिक धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करना एवं नियोक्ता को तत्काल गिरफ्तार करना।

2. बच्चे के प्रकरण में समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त करने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना।

3. बाल श्रम हेतु दुर्व्यापार के मामलों में F.I.R. की प्रति मानव तस्करी विरोधी इकाई को प्रेषित करना तथा बच्चे का विवरण https://missionvatsalya.wcd.gov.in/ पोर्टल पर संधारित करना।

4. बच्चे के परिवारजन/किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है, की उपस्थिति में बच्चे के पसंदीदा स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 181 के तहत् बयान दर्ज करना।

5. बाल श्रम के प्रकरणों में समयबद्ध जांच कर नियोक्ताओं एवं दलालों के खिलाफ कार्यवाही करना।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के 15 दिन के भीतर आवश्यक जांच/अनुसंधान पूर्ण कर संबंधित न्यायालय में चालान पेश करना।

7. पीड़ित बच्चे की आवश्यक काउंसलिंग एवं सामान्य स्थिति में आने के उपरान्त ही संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के बयान दर्ज कराना।

8. बच्चे के प्रकरण में आवश्यकतानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से

मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, अनुवादक, परामर्शदाता, इत्यादि की सेवाएं प्राप्त करना।

9. बाल श्रम हेतु बच्चों के दुर्व्यापार में अन्य राज्य के व्यक्तियों के लिप्त होने पर इसकी रोकथाम में संबंधित राज्य की मानव तस्करी विरोधी यूनिट/स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त करना।

बाल विवाह से प्रभावित बच्चे के प्रकरण में भूमिका-

समुदाय में समुचित शिक्षा एवं जनचेतना की कमी के कारण बड़ी संख्या में विशेषतः ग्रामीण आंचल में बाल विवाह सम्पन्न होते हैं। यह पुरानी सामाजिक कुरीति होने के साथ-साथ बच्चों के अधिकारों का एक निर्मम उल्लंघन है तथा बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास को गंभीर रूप प्रभावित करता है। बाल विवाह से बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं शोषण/हिंसा से संरक्षण जैसे मूलभूत अधिकारों का हनन भी होता है। बाल विवाह से बालिकाओं के साथ होने वाली यौन एवं घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है।

भारत सरकार द्वारा लागू किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) (xii) के अनुसार विवाह की आयु प्राप्त करने से पूर्व विवाह का आसन्न जोखिम रखने वाले बच्चे, जिनके विवाह के लिए उसके माता-पिता एवं परिवार के सदस्य, सरंक्षक एवं अन्य व्यक्तियों के ऐसे विवाह के लिए उत्तरदायी होने की संभावना है, को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 के नियम 55 के तहत् किसी बच्चे का विवाह करना भी अधिनियम की धारा 75 के तहत् बच्चे के प्रति क्रूरता माना गया है।

राज्य में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 एवं राजस्थान बाल विवाह प्रतिषेध नियम, 2007 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानतीय हैं। इस अधिनियम के तहत् विवाह की कानूनन आयु बालक एवं बालिका के लिए क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष तय की गई है। अधिनियम के तहत बाल विवाह शुन्यकरणीय बनाया गया है। यह अधिनियम सभी धर्म एवं सम्प्रदायों पर लागू होता है।

अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा विवाह हेतु निर्धारित उम्र से पूर्व बालक एवं बालिका का विवाह करना, आयोजन करना, प्रोत्साहित करना, विवाह हेतु दुष्प्रेरित करना, अनुदेश देना, किसी भी रूप में (रिश्तेदार, बारातियों, पण्डित, हलवाईयों, टेण्ट वाले, बैंड बाजा इत्यादि) बाल विवाह में भाग लेना या किसी वयस्क पुरूष द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका से

विवाह करना अपराध माना गया है। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास की सजा या 1 लाख रूपये तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। बाल विवाह के प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में भूमिका-

1. निकट भविष्य में बाल विवाह होने की संभावना की सूचना मिलने पर बालक-बालिका की उम्र से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करना तथा बच्चे की सही उम्र सत्यापित करना।
2. बालक एवं बालिका के परिवार के साथ बातचीत कर समझाइश करना तथा इस बात से अवगत कराना, कि बाल विवाह करना/कराना एक दंडनीय अपराध है।
3. बाल विवाह होने की सूचना/शिकायत मिलने पर दैनिक डायरी में ऐसे बच्चों की डी.डी. एन्ट्री कर विवरण संधारित करना तथा तत्काल बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) को सूचित करना।
4. बच्चे को 24 घण्टे के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के अतिरिक्त ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।
6. विवाह स्थल पर पहुंच कर बच्चे को संरक्षण में लेना तथा तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
7. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से बाल विवाह होने की सूचना संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जायेगी, ताकि निषेधाज्ञा जारी की जा सके।
8. आवश्यकतानुसार बाल विवाह की रोकथाम में बाल संरक्षण समिति के सदस्यों एवं सीएलजी सदस्यों की सहायता लेना।
9. बच्चों के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उन्हें प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में सहयोग करना।

आपराधिक परिपेक्ष्य में भूमिका -

1. प्रकरण की स्थिति के अनुसार बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रांसगिक धाराओं में अविलंब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना।
2. बाल विवाह की घटना के बारे में सबूत (जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की पर्ची) इत्यादि एकत्रित करना तथा बच्चे के बयान दर्ज करना।
3. बाल विवाह करने वाले एवं विवाह में सम्मिलित व्यक्तियों को चिन्हित कर गिरफ्तार

करना।

4. बाल विवाह के प्रभावित बालिका से बातचीत हेतु महिला पुलिस अधिकारी/महिला सामाजिक कार्यकर्ता/अध्यापिका/आंगनबाडी कार्यकर्ता/ए.एन.एम. इत्यादि की सहायता लेना।

5. बच्चे के प्रकरण में समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त करने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना।

6. यदि बाल विवाह हेतु बालिका की खरीद-फरोख्त की गई है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मानव तस्करी विरोधी यूनिट को प्रेषित करना।

7. यदि समिति द्वारा बच्चे को माता-पिता की अभिरक्षा में रखा गया है, तो समिति के आदेशानुसार नियमित रूप से अनुवर्तन (फॉलोअप)तथा निरीक्षण करना।

8. यदि कोई बाल विवाहित बालक/बालिका वैवाहिक बंधन के मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उन्हें अधिनियम के तहत् शून्यीकरण के प्रावधान एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करना।

9. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 514 के तहत् पीड़ित को बाल विवाह होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के भीतर बाल विवाह के अपराध के विरूद्ध वाद दायर करने का अधिकार है।यदि कोई बालक या बालिका अपने विवाह के विरूद्ध वाद लाना चाहे तो, उन्हें इस प्रावधान के बारे में जानकारी प्रदान करना।

भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे के प्रकरण में भूमिका-

राज्य के जिला मुख्यालयों एवं छोटे कस्बों/तहसील में विभिन्न ट्रैफिक चौराहों, सड़क, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक स्थानों इत्यादि पर अधिक संख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्वयं या अपने परिवार के साथ भीख मांगने का कार्य करते हैं। बाल भिक्षावृत्ति में स्थानीय बच्चों के अतिरिक्त अन्य राज्यों/जिलों के बच्चे भी सम्मिलित हैं तथा इनमें से अधिकांश बच्चे नशे में संलिप्त पाए गए हैं। बाल भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों के दुर्व्यापार के मामले भी सामने आये हैं। ट्रैफिक सिग्नलों पर भिक्षावृत्ति के कारण बच्चों के साथ दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं अधिक रहती है।

अधिकांशतः देखने में आया है कि राज्य में कुछ विशेष जाति समुदाय मुख्यतः नट, कंजर, रंगास्वामी, मदारी समुदाय सहित अन्य समुदाय के बच्चे अपने परिवार के साथ भीख मांगने का कार्य करते हैं एवं इन परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है। भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों द्वारा विभिन्न माध्यमों से नवजात शिशुओं एवं बच्चों के जरिये भीख मांगने का कार्य किया जा रहा

है, जो कि बच्चों के हित में न होने के साथ-साथ जोखिमपूर्ण एवं उनके विकास में बाधक भी है। बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों का समग्र पुनर्वास अत्यन्त आवश्यक है।

राज्य सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त निर्धन, दरिद्र एवं असहाय व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु ''राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012'' लागू किया गया है। अधिनियम के तहत् निर्धन, दरिद्र एवं असहाय व्यक्तियों एवं उनके परिवारों की पहचान उपरान्त उनके पुनर्वास हेतु पुनर्वास गृहों के माध्यम से भरण-पोषण, उपचार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना गया है।

राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में जिला प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु सघन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया गया है, जिसके तहत् परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के अतिरिक्त भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को चिन्हित कर बाल संरक्षण व्यवस्था से जोड़ा गया है। बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों/अभिभावकों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों की प्रासंगिक धाराओं के तहत् कानूनी कार्यवाही भी की गई है।

भारत सरकार द्वारा लागू किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14)(II) के तहत् अधिनियम एवं तत्समय प्रवृत श्रम विधियों के उल्लंघन में कार्यरत बच्चे या भिक्षावृति में लिप्त बच्चे या सड़क पर रहने वाले बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रन) को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अधिनियम की धारा 2(8) के अनुसार भीख मांगने से अभिप्राय निम्नानुसार है:-

- किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करना अथवा भिक्षा की याचना करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु किसी भी बहाने से किसी प्राईवेट परिसर में प्रवेश करना।
- भिक्षा प्राप्त करने या उसे हासिल करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या किसी जीवजंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग को दर्शाना या प्रदर्शित करना।

अधिनियम की धारा 76 के अनुसार भीख मांगने के लिए बच्चों का नियोजन:-

- धारा 76 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भीख मंगवाने के लिए किसी बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भीख मंगवायेगा, तो उसे अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा तथा 1.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।
- परन्तु भीख मंगवाने के प्रयोजन के लिए बच्चे के शरीर के किसी अंग को विछिन्न करता है या उसे विकलांग बनाता है, तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष की सजा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता हैं तथा 5.00 लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

- धारा 76 (2) के अनुसार बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण करने वाला कोई भी व्यक्ति भीख मंगवाने में बच्चे को नियोजित करता है या उसका उपयोग करता है या उससे भीख मंगवायेगा या बच्चे से भीख मंगवाने का दुष्प्रेरण करता है, ऐसे व्यक्ति को सजा एवं जुर्माने से साथ अधिनियम की धारा 2 (14) (v) के तहत् बच्चे की देखरेख हेतु अयोग्य माना जायेगा। परन्तु ऐसे बच्चे को किसी भी परिस्थिति में विधि उल्लंघन करने वाला नहीं माना जायेगा।
- अधिनियम की धारा 85 के अनुसार यदि धारा 76 में वर्णित अपराध यदि किसी ऐसे निःशक्त बच्चे के साथ किया गया है, जिसे चिकित्सक द्वारा निःशक्त बच्चा प्रमाणित किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए निर्धारित सजा की दोगुना (Double) सजा से दण्डित किया जायेगा।
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 139 के तहत् भी भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए अवयस्क का व्यपहरण या विकलांगीकरण तथा धारा 143 के तहत् अवयस्क का शारीरिक शोषण के कोई कृत्य के लिए दुर्व्यापार को एक गंभीर अपराध के रूप में वर्णित किया गया है।

ऐसे बच्चों के मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

देखभाल एवं संरक्षण के संबंध में भूमिका-

1. स्थानीय स्तर पर बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं कराने हेतु जागरूक करना।
2. भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों को बच्चों से भिक्षावृत्ति नहीं कराने तथा शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना।
3. स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक चौराहों / सड़कों / सार्वजनिक स्थान/पर्यटन स्थलों इत्यादि पर भीख मांगने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पहचान करना।
4. बच्चों द्वारा भिक्षावृत्ति किये जाने या कराये जाने की सूचना मिलने पर तत्काल ऐसे बच्चों तक पहुंच कर उन्हें संरक्षण में लेना तथा बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
5. भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे का विवरण दैनिक डायरी में दर्ज करना।

6. ऐसे बच्चों से उनके एवं परिवार तथा भीख मंगवाने वाले व्यक्ति के बारे में संवेदनशीलता से जानकारी प्राप्त करना।

7. चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से बच्चों की काउंसलिंग कराना।

8. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया है, का विस्तृत विवरण लेखबद्ध करते हुए बच्चे को 24 घण्टे के भीतर प्रपत्र 17 में बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के अतिरिक्त ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना। किसी भी स्थिति में बच्चे को पुलिस थाना/जेल में नहीं रखना।

9. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।

10. भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को अपराधी न मानते हुए सम्मान एवं गरिमा के साथ व्यवहार करना।

11. भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनको प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना।

आपराधिक परिपेक्ष्य में भूमिका-

1. भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे का विवरण दैनिक डायरी में दर्ज कर अनुसंधान करना।

2. ऐसे अपराध की पुष्टि पाये जाने की स्थिति में अपराध की प्रकृति के अनुसार संबंधित धाराओं में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निर्धारित समयावधि में अनुसंधान सुनिश्चित करना।

3. यदि बच्चे को भिक्षावृत्ति में लिप्त करने साथ अन्य कोई संज्ञेय अपराध किया गया है, तो ऐसे मामले को संज्ञेय मानते हुए तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

4. यदि किसी व्यक्ति द्वारा भीख मंगवाने हेतु बच्चों का दुर्व्यापार किया गया है तथा बच्चे द्वारा भीख में प्राप्त किये गये पैसों का उपयोग किया गया है, तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 76 के साथ ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 एवं 143 के तहत् विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

5. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 55-ए में वर्णित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करना।

6. बच्चे के प्रकरण में समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त करने हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना।

7. बाल भिक्षावृत्ति के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही करना।

लाईलाज बीमारी से ग्रसित ऐसा बच्चा, जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं, के प्रकरण में भूमिका–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) (iv) के तहत् मानसिक रूप से बीमार या मानसिक एवं शारीरिक रोग से असुविधाग्रस्त बच्चा या लाईलाज बीमारी से ग्रसित ऐसा बच्चा, जिसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं हैं या जिसके माता–पिता या संरक्षक हैं, लेकिन देखरेख करने के लिए असमर्थ हैं, को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

अधिनियम की धारा 50 (2) के तहत् राज्य सरकार द्वारा किसी बाल देखरेख संस्थान (बाल गृह) को उक्त श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं के बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया जायेगा। जहां ऐसे बच्चों को देखरेख के साथ–साथ विशेष सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे बच्चों के मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:–

1. स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता के माध्यम से मानसिक रूप से बीमार या मानसिक एवं शारीरिक रोग से असुविधाग्रस्त बच्चा या लाईलाज बीमारी ग्रसित ऐसे बच्चे, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है या माता–पिता या संरक्षक हैं, लेकिन देखरेख करने के लिए असमर्थ हैं, को चिन्हित करना।
2. ऐसे बच्चों की सूचना मिलने पर तत्काल उन तक पहुंचना तथा दैनिक डायरी में एन्ट्री करना।
3. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया है, का विस्तृत विवरण लेखबद्ध करते हुए बच्चे को

24 घण्टे के भीतर प्रपत्र 17 में बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के अतिरिक्त ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना।

4. बच्चा किस बीमारी (बीमारी का नाम) से ग्रसित है, बच्चे को यह बीमारी जन्मजात/आनुवांशिक है या बच्चा इस बीमारी का कितने समय से सामना कर रहा है, का विवरण तथा बच्चे के उपचार के लिए किये गये प्रयास या उपचार करने वाले चिकित्सक का नाम तथा विवरण लेखबद्ध कर समिति को प्रेषित करना।

5. बाल कल्याण समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।

6. यदि बच्चे के साथ किसी प्रकार का शोषण या दुर्व्यवहार किया गया है, तो विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

7. ऐसे बच्चों से बातचीत/संवाद करने हेतु बच्चे के प्रकरण में आवश्यकतानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, सांकेतिक शिक्षक, अनुवादक, परामर्शदाता, इत्यादि की सेवाएं प्राप्त करना।

8. ऐसे बच्चों के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनको प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव में सहयोग करना।

9. समुदाय में ऐसे किसी बच्चे की उपेक्षा न की जाये के संबंध में जागरूगता पैदा करना तथा ऐसे बच्चे के साथ किसी प्रकार का अपराध, शोषण या दुर्व्यवहार करने वाले अपराधी को अपराध हेतु निर्धारित सजा से दोगुनी सजा से दण्डित किया जायेगा।

10. यदि बच्चे के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार/शोषण हुआ है, तो इस संबंध में जांच/अनुसंधान कर संबंधित न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव/प्राकृतिक आपदा से पीड़ित या प्रभावित बच्चे के प्रकरण में भूमिका-

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) (xi) के तहत् सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

उक्त परिस्थितियों में बच्चे को अत्यधिक देखरेख की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक राज्य का दायित्व है, कि सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों की देखरेख, उपचार तथा पुनर्वास सुनिश्चित करें। ऐसे मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

1. स्थानीय स्तर पर सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों की सूचना अविलम्ब चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं जिला प्रशासन को देने हेतु सामुदाय को जागरूक करना।

2. समुदाय के सहयोग से सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों को चिन्हित करना।
3. ऐसे बच्चों की सूचना मिलने पर तत्काल ऐसे बच्चों तक पहुंचना एवं ऐसे बच्चों का विवरण दैनिक डायरी में एन्ट्री करना।
4. प्राकृतिक आपदा एवं सिविल उपद्रव के बारे में विस्तृत विवरण समिति एवं जिला प्रशासन को प्रदान करना।
5. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया है, का विस्तृत विवरण लेखबद्ध करते हुए बच्चे को 24 घण्टे के भीतर प्रपत्र 17 में बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के अतिरिक्त ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना।
6. समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।
7. ऐसे बच्चे के संबंध में जिला प्रशासन को जानकारी प्रदान करना, ताकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे बच्चों को प्रोजेक्ट असिस्ट के तहत् सहायता प्रदान की जा सके।
8. सिविल उपद्रव एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान बच्चों के साथ हिंसक व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्यवाही करना।
9. ऐसे बच्चों से बातचीत/संवाद करने हेतु बच्चे के प्रकरण में आवश्यकतानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, सांकेतिक शिक्षक, अनुवादक, परामर्शदाता, इत्यादि की सेवाएं प्राप्त करना।
10. ऐसे बच्चों के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनको प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव में सहयोग करना।

3
अध्याय

रेलवे के सम्पर्क में आने वाले बच्चों के प्रकरण में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका

रेलवे स्टेशन पर जीने की मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, पानी एवं सोने हेतु स्थान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए रेलवे स्टेशन अनाथ, परित्यक्त एवं घर से भागे हुए/गुमशुदा बच्चों के लिए एक उपयुक्त स्थान/घर जैसा बन गया है साथ ही यहां ऐसे बच्चों को कुछ साथी भी मिल जाते हैं। अधिकतर बच्चे प्रमुख शहरों के रेलवे जंक्शन/स्टेशन परिसर एवं उसके आस-पास विषम परिस्थितियों में पाये जाते हैं तथा इसके अतिरिक्त रेल के अन्दर भी कई उपेक्षित बच्चे रेलवे के सम्पर्क में आते हैं।

इन बच्चों की पहचान नहीं होने के कारण इनका पुनर्वास नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये बच्चे रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने, बोतल/कचरा बीनने, करतब दिखाने, बूट पॉलिस सहित कई कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। इन बच्चों के विभिन्न प्रकार के नशे व्हाईटनर, सॉल्यूशन एवं ऑयोडेक्स इत्यादि में लिप्त होने के मामले भी सामने आये है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) के तहत् ऐसे बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

अधिनियम के तहत् किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार की क्रूरता करना (धारा-75), बच्चों से भीख मंगवाना (धारा-76), बच्चे को नशे की वस्तुएं देना या दिलवाना (धारा-77) तथा बच्चों से कार्य/श्रम करवाना (धारा-79) अपराध माना गया है। अधिनियम की धारा 107 (4) के तहत् विशेष किशोर पुलिस इकाई में रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस को भी सम्मिलित किया गया है।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन संख्या 5365/2012 खुशबू जैन बनाम

रेल मंत्रालय एवं अन्य में दिनांक 13.02.2013 को दिये आदेश में रेलवे सम्पर्क में आने वाले एवं रेलवे जंक्शन/स्टेशन पर रहने वाले बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इस संबंध में रेलवे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.03.2015 के तहत् सभी संबंधितों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। उक्त मानक संचालन प्रक्रिया का संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जानी है। रेलवे के सम्पर्क में आने वाले बच्चे के प्रकरणों में राजकीय रेलवे पुलिस थाने/चौकी में कार्यरत बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

देखरेख एवं संरक्षण से संबंध में भूमिका-

1. रेलवे स्टेशन/रेलवे परिसर में या ट्रेन के अन्दर अखबार बेचने, कचरा बीनने, तम्बाकू उत्पाद बेचने एवं बूट पॉलिस का काम करने वाले बच्चे, लावारिस/उपेक्षित बच्चों की पहचान करना तथा ऐसे बच्चों को संरक्षण में लेकर उनकी तात्कालिक आवश्यकतओं की पूर्ति करना।
2. ऐसे बच्चों से उनके परिवार अथवा घर के बारे में संवेदनशीलता से जानकारी प्राप्त करना तथा ऐसे बच्चों का विवरण दैनिक डायरी में दर्ज करना।
3. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया है, का विस्तृत विवरण लेखबद्ध करते हुए बच्चे को 24 घण्टे के भीतर प्रपत्र 17 में बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के अतिरिक्त ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. यदि रेलवे स्टेशन या परिसर या ट्रेन में मिले बच्चे की आयु 2 वर्ष से कम है तथा वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो 24 घंटे के भीतर ऐसे बच्चे का लिखित विवरण मय फोटो समिति को प्रेषित करना तथा बच्चे के स्वस्थ होने के पश्चात स्वस्थ होने के प्रमाण-पत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. समिति के आदेश पर बच्चे की चिकित्सा जांच कराना एवं बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।
6. किसी भी गुमशुदा या अन्य देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे को सीधे ही उसके अभिभावक एवं माता-पिता को सुपूर्द नहीं करना। यदि बच्चे के साथ कोई अपराध घटित हुआ है, तो उसकी जांच कर विधिक कार्यवाही करना।
7. रेलवे स्टेशन पर बच्चों के साथ कार्य करने हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन -1098 या किसी अन्य संस्था के साथ समन्वय स्थापित करना तथा आवश्यकतानुसार सहयोग उपलब्ध कराना।
8. रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चे के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होने पर, ऐसे बच्चे का विवरण https://missionvatsalya.wcd.gov.in/ पोर्टल पर अपलोड करना।
9. ऐसे बच्चे, जो किसी कारणवश अपने परिवार से बिछुड़ गये या उनकी ट्रेन छूट गई है या गलत ट्रेन में सवार हो गये हैं, के मामलों में बच्चों की आवश्यक मदद कर संबंधित स्टेशन अधीक्षक/निदेशक/मास्टर से समय-समय पर आवश्यक उद्घघोषणा कराना।

10. बच्चों द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये जाने वाले छोटे अपराधों के शिकार बच्चों को विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे न मानते हुए उन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा मानकर आवश्यक काउंसलिंग एवं संरक्षण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराना।

आपराधिक परिपेक्ष्य में भूमिका-

1. रेल के अन्दर बिना टिकिट यात्रा करने वाले बच्चों को अपराधी मानने की बजाय उसे एक उपेक्षित बच्चे के रूप में देखा जाकर नियमानुसार देखरेख एवं संरक्षण हेतु आर.पी.एफ चौकी/चाइल्ड हेल्पलाइन- 1098 को बच्चा सुपूर्द करते हुए, इसकी सूचना स्टेशन अधीक्षक/निदेशक/स्टेशन मास्टर को देना।
2. एक साथ बड़ी संख्या में बच्चों की टिकिट बुकिंग, बिक्री एवं यात्रा के दौरान उनकी यात्रा के संबंध में जानकारी प्राप्त करना तथा सन्देह की स्थिति में उनके साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति से बच्चों के दस्तावेजों की जांच एवं आवश्यक पूछताछ करना।
3. रेलवे स्टेशन एवं रेल के अन्दर परिजनों/किसी व्यक्ति के साथ 5 से अधिक बच्चे होने की स्थिति में यह सुनिश्चित करना, कि कहीं बच्चों का दुर्व्यापार/अपहरण/खरीद-फरोख्त तो नहीं की गई है। ऐसा पाये जाने पर तत्काल बच्चों को अपने संरक्षण में लेकर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करना।
4. बाल दुर्व्यापार के प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध बच्चे के गायब होने के स्थान से संबंधित पुलिस थाने या बच्चे को मुक्त कराये गये स्थान/बच्चे के वर्तमान स्थान से संबंधित जी.आर.पी. थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी।
5. बच्चों को पुनर्वास हेतु समिति के आदेश पर अन्य जिले या राज्य में भिजवाने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा प्राथमिकता से आवश्यक सुरक्षा/परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना, जिनमें अतिरिक्त रेल बोगी इत्यादि की व्यवस्था में सहयोग करना सम्मिलित है।
6. विधि से संघर्षरत बच्चों की पहचान कर तत्काल उन्हें नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु जी.आर.पी. को सुपुर्द करना या बच्चे को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।
7. किसी भी स्थिति में विधि से संघर्षरत बच्चों को किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया जायेगा।

4
अध्याय

बच्चों के विरूद्ध अपराध के प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अध्याय 9 एवं आदर्श नियम के अध्याय 8 में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक-बालिका के विरूद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा/दुर्व्यवहार की रोकथाम, बच्चों के विरूद्ध विभिन्न श्रेणी के अपराध यथा बच्चों की पहचान उजागर करना (धारा 74), बच्चों के प्रति क्रूरता (धारा 75), बच्चों से भीख मंगवाना (धारा 76), बच्चों को मादक पदार्थ या स्वापक औषधि मादक या मनःप्रभावी पदार्थ देना (धारा 77), बच्चों से मादक पदार्थ या स्वापक औषधि मादक या मनःप्रभावी पदार्थ का क्रय-विक्रय करवाना (धारा 78), बाल कर्मचारी का शोषण (धारा 79), अवैधानिक/गैर अधिनियमी तरीके से दत्तकग्रहण करना (धारा 80), किसी प्रयोजन के लिए बच्चों का विक्रय और उपापन (धारा 81), किसी बच्चे को शारीरिक दण्ड देना (धारा 82) एवं उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा बच्चों का उपयोग (धारा 83) को बच्चों के विरूद्ध अपराध के रूप में परिभाषित करते हुए विभिन्न एजेंसियों एवं प्राधिकारियों के लिए विस्तृत प्रावधान एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है। बच्चों के विरूद्ध अपराधों के प्रकरण में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित भूमिका हो सकती है:-

देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में भूमिका-

1. यदि किसी देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के साथ अपराध हुआ है, ऐसे बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं (खाना, कपड़े, चिकित्सा एवं काउंसलिंग) की पूर्ति करना तथा बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया है, का विस्तृत विवरण लेखबद्ध करते हुए बच्चे को 24 घण्टे के भीतर प्रपत्र 17 में बाल कल्याण समिति या कार्यालय समय के अतिरिक्त ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना। किसी भी स्थिति में बच्चे को थाने/हवालात में नहीं रखना।

2. देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के प्रकरण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना तथा ऐसे प्रकरणों में महिला पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के साथ बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

3. बाल कल्याण समिति के आदेश पर आवश्यकतानुसार बच्चों की चिकित्सकीय जांच एवं उपचार कराना तथा बच्चे को बाल देखरेख संस्थान तक पहुंचाना।

4. ऐसे बच्चों के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनको प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव में सहयोग करना।

आपराधिक परिपेक्ष्य में भूमिका–

1. किसी भी बच्चे के विरूद्ध होने वाले संज्ञेय अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना।
2. बच्चों के विरूद्ध अपराध के प्रकरण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण समिति को प्रेषित करना।
3. बच्चे के विरूद्ध असंज्ञेय अपराध के मामलों सूचना/शिकायत देने वाले व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में जाने के लिए कहना।
4. बच्चे के विरूद्ध असंज्ञेय अपराध के मामलों में दैनिक डायरी में दर्ज करना तथा दैनिक डायरी का विवरण पाक्षिक रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करना।
5. न्यायालय के आदेश पर मामले का अनुसंधान करना एवं आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए विधिक कार्यवाही करना।
6. बच्चों के विरूद्ध अपराधों के सभी मामलों में निर्धारित समय सीमा में जांच/अनुसंधान पूर्ण कर अन्तिम रिपोर्ट बाल न्यायालय में प्रस्तुत करना।
7. बच्चें के 181 के बयान यथासंभव बच्चे के पसंदीदा स्थान, घर अथवा संस्थान जहां वह रह रहा है एवं बच्चें के आवास स्थल पर बच्चे द्वारा कहे गए अनुसार हूबहू दर्ज करना।
8. पीड़ित बच्चें के बयान उसके घर या उसके अनुकूल स्थान पर उसके परिजन/अभिभावक/ किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है/सपोर्ट पर्सन (Support Person) की उपस्थिति में दर्ज करना।
9. यदि परिवार के सदस्य द्वारा बच्चे के साथ ऐसा अपराध किया गया है, तो संबंधित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि/सपोर्ट पर्सन (Support Person) की उपस्थिति में बच्चे के बयान दर्ज करना तथा बयान एवं कार्यवाही के दौरान परिवार के सदस्यों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देना।परिस्थिति के अनुसार बच्चें के बयान ऑडियो–विडियों साधनों द्वारा दर्ज किए जा सकते हैं।
10. बच्चे एवं उसके परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पैरा लीगल वॉलेन्टियर की सेवाएं उपलब्ध कराना।
11. बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्यवाही करना तथा बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता बनाये रखना।
12. पीड़ित बच्चों तथा उसके परिवार को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 एवं अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
13. शोषण/हिंसा से पीड़ित बच्चे के प्रकरण में बच्चों तथा उसके परिवार को प्रकरण की प्रगति के बारे में अद्यतनः जानकारी देना, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराना भी सम्मिलित है।

5
अध्याय

विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए अपराध निन्दनीय हो सकते हैं, परन्तु दण्डनीय नहीं हो सकते हैं। इसी मंशा के साथ बच्चों के साथ सामान्य अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है बल्कि किशोर न्याय व्यवस्था के तहत् सुधारात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नई शुरूआत प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार ऐसा बच्चा जिस पर अपराध करने का आरोप है या उसके द्वारा अपराध कारित किया गया है और अपराध किए जाने की दिनांक को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, को विधि से संघर्षरत बच्चा माना गया है।

अधिनियम के तहत् पुलिस द्वारा ऐसे बच्चों के साथ समाज द्वारा एक अपराधी की तरह व्यवहार न किया जाये तथा ऐसे बच्चों को पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मैत्री प्रावधान एवं प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अधिनियम में विधि से संघर्षरत बच्चों के मामलों की जांच, सुनवाई एवं निस्तारण हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से भिन्न है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के अनुसार विधि से संघर्षरत बच्चे के संबंध में

दर्ज समस्त मामलों में अनुसंधान संबंधित पुलिस थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा पुलिस द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चे को निरूद्ध किये जाने के पश्चात तत्काल पुलिस थाने के नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई की निगरानी में रखा जायेगा। ऐसे बच्चों के मामलों में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की निम्नलिखित की भूमिका हो सकती हैः-

- **विधि से संघर्षरत बच्चों द्वारा कारित छोटे एवं गम्भीर अपराध के संबंध में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका-**

1. छोटे एवं गम्भीर अपराधों के मामलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे द्वारा किए गए अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी मे दर्ज करना। बच्चों द्वारा किसी वयस्क के साथ मिलकर किये गये छोटे एवं गम्भीर अपराधों के प्रकरणों में ही बच्चे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करना। आदर्श नियम 08 (1)
2. बच्चों द्वारा अपराध किये जाने के संदेह या संभावना (प्रिवेन्टिव अरेस्ट) की स्थिति में निरूद्ध नहीं करना। धारा 22
3. बच्चे से पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न, जो बच्चे को असहज बना सकते हैं, को विनम्र तरीके से पूछना तथा बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं उसकी बातों पर विचार करना। धारा 86 (6) एवं आदर्श नियम 10 (8)
4. ऐसे मामलों में नॉन-ज्यूडीशियल पेपर पर आदर्श नियम, 2016 के प्रपत्र-2 में निर्धारित बंधपत्र पर हस्ताक्षर करवाकर माता-पिता/ संरक्षक की अभिरक्षा में बच्चे को छोड़ना। आदर्श नियम 08 (7)
5. बच्चे को पुलिस थाने के थानाधिकारी द्वारा किसी भी जमानतीय या गैरजमानतीय अपराध में जमानत दी जा सकती है, अगर बच्चे को पुलिस थाने स्तर पर जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है, तो उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना। धारा 12 (2)
6. ऐसे अपराधों के प्रकरणों में बच्चे को निरूद्ध किये जाने की कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक निरूद्ध करना बच्चे के हित में न हो। आदर्श नियम 08 (1)
7. बच्चे के माता-पिता या संरक्षक को बच्चे के निरूद्ध किये जाने की सूचना तथा बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख, समय तथा माता-पिता एवं संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने की तारीख, समय एवं बोर्ड के पते के बारे में अवगत कराना। आदर्श नियम 8 (2)(I)
8. संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को बच्चे की निरूद्धगी की सूचना से अवगत कराना, ताकि बच्चे से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट एवं बोर्ड द्वारा की जाने वाली जांच के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। आदर्श नियम 8 (2)(II)
9. यदि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराते

हुए बच्चे पर लगाये गये अपराधों के आरोपों एवं विधि से संघर्षरत बच्चे के रूप में बच्चे के अधिकार एवं विशेषाधिकार के बारे में बच्चे एवं उसके माता-पिता या संरक्षक को जानकारी देना। आदर्श नियम 8 (3)(III & III-A)

10. प्रकरण में बच्चे को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सहायता एवं विशेष शिक्षक, सांकेतिक शिक्षक, अनुवादक, परामर्शदाता, इत्यादि की सेवाएं उपलब्ध कराना। आदर्श नियम 8 (3)(IV)

11. किसी भी स्थिति में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के स्वयं के स्तर पर बच्चे की उम्र निर्धारण के संबंध में चिकित्सा जांच नहीं कराना।

12. यदि बच्चे के हित में विधि से संघर्षरत बच्चे को निरूद्ध किया गया है, तो ऐसे बच्चे को यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर कार्यालय समय में किशोर न्याय बोर्ड तथा कार्यालय समय के अतिरिक्त ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के समक्ष बच्चे को निरूद्ध किये जाने के कारण के साथ प्रस्तुत करना। धारा 10, धारा 7 (2) एवं आदर्श नियम 06 (8)

13. यदि किसी कारण बच्चे को बोर्ड या बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो बच्चे को प्रकरण के अनुसार राजकीय सम्प्रेषण गृह या सुरक्षित अभिरक्षा गृह में रखकर अगले दिन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना। लेकिन बच्चे को किसी भी स्थिति में रात्रि के समय पुलिस थाने/जेल में नहीं रखना। धारा 12 (2) एवं आदर्श नियम 8 (3)(I)

14. विधि से संघर्षरत बच्चे/किशोर/संदिग्ध अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना, कि उसने यह अपराध 18 वर्ष से कम उम्र की आयु में तो नहीं किया है।

15. आयु की पुष्टि हेतु बालक/किशोर/संदिग्ध अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा जिसमें मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय में प्रथम दाखिले में अंकित आयु के संबंध में संबंधित विद्यालय से आयु संबंधी जानकारी अथवा किशोर के जन्म संबंधी जानकारी में स्थानीय निकाय से पंजीकृत होने अथवा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति प्राप्त करना।

16. बालक/किशोर/संदिग्ध अभियुक्त के मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र/विद्यालय में प्रथम दाखिले में अंकित आयु के प्रमाण/जन्म प्रमाण-पत्र के अभाव में किशोर न्याय बोर्ड को बालक/किशोर/ संदिग्ध अभियुक्त की उम्र निर्धारण हेतु अनुरोध करना।

17. किसी भी स्थिति में पुलिस स्वयं के स्तर पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बालक/किशोर/ संदिग्ध अभियुक्त का उम्र निर्धारण हेतु चिकित्सीय जांच नहीं करवाना।

18. किसी संदिग्ध अभियुक्त के अवयस्क होने की संभावना होने की स्थिति या संदिग्ध

किशोर स्वयं को अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु का बताता है एवं तत्समय उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा जांच/अनुसंधान अधिकारी द्वारा 24 घण्टें के भीतर दस्तावेज एकत्रित करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति संदेह का लाभ संदिग्ध बच्चे को देते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड या डयूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना।

19. विधि से संघर्षरत बालिकाओं के प्रकरण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना तथा बालिका को महिला पुलिस कर्मचारी के साथ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।आदर्श नियम 86 (5)

20. बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड द्वारा पारित आदेशानुसार बच्चे को संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचाना। आदर्श नियम 9(2)

21. प्रकरण में निरूद्धगी ज्ञाप (मैमो) के साथ आयु ज्ञाप (मैमो) संधारित करना (संलग्न)।

22. निरुद्धगी ज्ञाप में बच्चे निरूद्धगी से जुड़े तथ्य एवं परिस्थितियों का उल्लेख किया जायेगा तथा बच्चे के अभिभावक से भी हस्ताक्षर कराते हुए इसकी एक प्रति प्रदान की जायेगी।

23. किसी भी स्थिति में विधि से संघर्षरत बालिका को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पूर्व निरूद्ध नहीं करना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 43(5)

24. ऐसे मामलों की आदर्श नियम 2016 में निर्धारित प्रपत्र 1 में बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट एवं निरूद्धगी परिपत्र बोर्ड को प्रथम सुनवाई से पूर्व प्रेषित करना। आदर्श नियम 08 (1)

25. यदि बच्चा किसी वयस्क के साथ अपराध में शामिल है, तो नियमानुसार वयस्क एवं बच्चे के मामले की पृथक-पृथक कार्यवाही करना। (धारा 23) तथा वयस्क अपराधी के विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 83 (2) के तहत् भी अनुसंधान करना।आदर्श नियम 13(7)(III)

26. यदि बच्चे के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध किया गया है, तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करना। आदर्श नियम 54(2)

27. पुलिस कार्यवाही करने से पूर्व जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं अन्य माध्यमों से यह सुनिश्चित करना, कि अपराध करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है या नहीं।

28. उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के अनुरूप ही अग्रिम कार्यवाही करना।धारा 94 (2)

29. बच्चों की निजता एवं प्रकरण की गोपनीयता बनाये रखने के लिए किसी भी स्थिति

में विधि से संघर्षरत बच्चों का नाम, पता, तस्वीर एवं उससे संबंधित जांच को किसी समाचार पत्र, पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल साइट्स एवं अन्य माध्यमों से सार्वजनिक नहीं करना। धारा 74 (1)

30. विधि से संघर्षरत बच्चा यदि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा प्रतीत होता है, तो ऐसे तथ्यों को रिपोर्ट में रेखांकित कर बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना। आदर्श नियम 9 (3)

31. ऐसे अपराधों के प्रकरण में अंतिम रिपोर्ट यथाशीघ्र या पुलिस को सूचना प्राप्त होने के अधिकतम 2 माह में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना। आदर्श नियम 10 (6)

32. छोटे एवं गम्भीर अपराधों के ऐसे प्रकरण, जिसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपराध करने वाला व्यक्ति बच्चा था या ऐसे प्रकरण, जिसमे बोर्ड द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाई जा सकती है। आदर्श नियम 10 (6)

- विधि से संघर्षरत बच्चों द्वारा कारित जघन्य अपराध के संबंध में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका-

1. बच्चे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज करना। आदर्श नियम 8 (1)

2. बच्चे से पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न, जो बच्चे को असहज बना सकते हैं, को विनम्र तरीके से पूछना तथा बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं उसकी बातों पर विचार करना। धारा 86 (6) एवं आदर्श नियम 10 (8)

3. बच्चों द्वारा अपराध किये जाने के संदेह या संभावना (प्रिवेन्टिव अरेस्ट) की स्थिति में निरूद्ध नहीं करना। धारा 22

4. ऐसे अपराध में नॉन-ज्यूडीशियल पेपर पर आदर्श नियम 2016 में निर्धारित प्रपत्र-2 में माता-पिता या संरक्षक से बंधपत्र पर हस्ताक्षर कराते हुए उनकी अभिरक्षा में बच्चे को छोड़ना। आदर्श नियम 08 (7)

5. बच्चे को पुलिस थाने के थानाधिकारी द्वारा किसी भी जमानतीय या गैरजमानतीय अपराध में जमानत दी जा सकती है, अगर बच्चे को पुलिस थाने स्तर पर जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है, तो उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना। धारा 12 (2)

6. ऐसे मामलों की आदर्श नियम 2016 में निर्धारित प्रपत्र 1 में बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट एवं निरूद्धगी परिपत्र बोर्ड को प्रथम सुनवाई से पूर्व प्रेषित करना। आदर्श नियम 08 (1)

7. ऐसे अपराधों के प्रकरणों में बच्चे को निरूद्ध किये जाने की कार्यवाही नहीं की जायेगी, जब तक निरूद्ध करना बच्चे के हित में न हो। आदर्श नियम 08 (1)

8. बच्चे के माता-पिता या संरक्षक को बच्चे के निरूद्ध किये जाने की सूचना तथा बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख, समय तथा माता-पिता एवं संरक्षक

को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने की तारीख, समय एवं बोर्ड के पते के बारे में अवगत कराना। आदर्श नियम 8(2)(I)

9. संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को बच्चे की निरूद्धगी की सूचना से अवगत कराना, ताकि बच्चे से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट एवं बोर्ड द्वारा की जाने वाली जांच के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके।आदर्श नियम 8(2)(II)

10. यदि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, तो रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराते हुए बच्चे पर लगाये गये अपराधों के आरोपों एवं विधि से संघर्षरत बच्चे के रूप में बच्चे के अधिकार एवं विशेषाधिकार के बारे में बच्चे एवं उसके माता-पिता या संरक्षक को जानकारी देना।आदर्श नियम 8(3)(III & III-A)

11. प्रकरण में बच्चे को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सहायता एवं विशेष शिक्षक, सांकेतिक शिक्षक, अनुवादक, परामर्शदाता, इत्यादि की सेवाएं उपलब्ध कराना। आदर्श नियम 8(3)(IV)

12. प्रत्येक प्रकरण में निरूद्धगी ज्ञाप (मैमो) के साथ-साथ आयु ज्ञाप (मैमो) संधारित करना।

13. निरुद्धगी ज्ञाप में बच्चे निरूद्धगी से जुड़े तथ्य एवं परिस्थितियों का उल्लेख किया जायेगा तथा बच्चे के अभिभावक से भी हस्ताक्षर कराते हुए इसकी एक प्रति प्रदान की जायेगी।

14. किसी भी स्थिति में विधि से संघर्षरत बालिका को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पूर्व निरूद्ध नहीं करना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43(5)

15. विधि से संघर्षरत बच्चे को निरूद्ध किये जाने के पश्चात यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर कार्यालय समय में किशोर न्याय बोर्ड तथा कार्यालय समय के अतिरिक्त किसी भी समय ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के समक्ष बच्चे को निरूद्ध किये जाने के कारण के साथ प्रस्तुत करना। धारा 7(2) एवं आदर्श नियम 6(8)

16. विधि से संघर्षरत बालिकाओं के प्रकरण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना तथा बालिका को महिला पुलिस कर्मचारी के साथ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।आदर्श नियम 86(5)

17. यदि किसी कारण बच्चे को बोर्ड या बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो बच्चे को प्रकरण के अनुसार राजकीय सम्प्रेषण गृह या सुरक्षित अभिरक्षा गृह में रखकर अगले दिन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना। लेकिन बच्चे को किसी भी स्थिति में रात्रि के समय पुलिस थाने/जेल में नहीं रखना। धारा 12 (2) एवं आदर्श नियम 8(3)(I)

18. विधि से संघर्षरत बच्चे/किशोर/संदिग्ध अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना, कि उसने यह अपराध 18 वर्ष से कम उम्र की आयु

में तो नहीं किया है।

19. आयु की पुष्टि हेतु बालक/किशोर/संदिग्ध अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा जिसमें मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र अथवा विद्यालय में प्रथम दाखिले में अंकित आयु के संबंध में संबंधित विद्यालय से आयु संबंधी जानकारी अथवा किशोर के जन्म संबंधी जानकारी में स्थानीय निकाय से पंजीकृत होने अथवा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति प्राप्त करना।

20. बालक/किशोर/संदिग्ध अभियुक्त के मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र/विद्यालय में प्रथम दाखिले में अंकित आयु के प्रमाण/जन्म प्रमाण-पत्र के अभाव में किशोर न्याय बोर्ड को बालक/किशोर/ संदिग्ध अभियुक्त की उम्र निर्धारण हेतु अनुरोध करना।

21. किसी भी स्थिति में पुलिस स्वयं के स्तर पर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बालक/किशोर/ संदिग्ध अभियुक्त का उम्र निर्धारण हेतु चिकित्सीय जांच नहीं करवाना।

22. किसी संदिग्ध अभियुक्त के अवयस्क होने की संभावना होने की स्थिति या संदिग्ध किशोर स्वयं को अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु का बताता है एवं तत्समय उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा जांच/अनुसंधान अधिकारी द्वारा 24 घण्टें के भीतर दस्तावेज एकत्रित करना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति संदेह का लाभ संदिग्ध बच्चे को देते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड या डयूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करना।

23. बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड द्वारा पारित आदेशानुसार बच्चे को संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचाना।आदर्श नियम 9(2)

24. विधि से संघर्षरत बच्चा यदि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा प्रतीत होता है, तो ऐसे तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट में रेखांकित कर बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना। आदर्श नियम 9(3)

25. यदि बच्चा किसी वयस्क के साथ अपराध में सम्मिलित है, तो नियमानुसार वयस्क एवं बच्चे के मामले की पृथक-पृथक कार्यवाही करना (धारा 23) तथा वयस्क अपराधी के विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 83 (2) के तहत् भी अनुसंधान करना।आदर्श नियम 13(7)(III)

26. यदि बच्चे के विरूद्ध किसी प्रकार को कोई अपराध किया गया है, तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करना। आदर्श नियम 54(2)

27. पुलिस कार्यवाही करने से पूर्व जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं अन्य माध्यमों से यह सुनिश्चित करना, कि अपराध करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है या नहीं।

28. उक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के अनुरूप ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। धारा 94 (2)

29. बच्चों की निजता एवं प्रकरण की गोपनीयता बनाये रखने के लिए किसी भी स्थिति में विधि से संघर्षरत बच्चों का नाम, पता, तस्वीर एवं उससे संबंधित जांच को किसी समाचार पत्र, पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल साइट्स एवं अन्य माध्यमों से सार्वजनिक नहीं करना।धारा 74 (1)

30. 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे द्वारा जघन्य अपराध करने के प्रकरण में बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किये जाने की तारीख से 1 माह की अवधि में अनुसंधान के दौरान अभिलिखत गवाहों के कथन एवं तैयार किये अन्य दस्तावेज बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उक्त दस्तावेजों की प्रति बच्चे या उसके माता-पिता/संरक्षक को भी उपलब्ध कराना।आदर्श नियम 10 (5)

6
अध्याय

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा अपनाये जाने वाले मैत्री सूचक

बाल अधिकारिता विभाग द्वारा क्रमांक 54515 दिनांक 20.01.2017 के माध्यम से विभिन्न घटकों हेतु बाल मैत्री सूचक जारी किये गये हैं, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों, विधि से संघर्षरत बच्चों एवं पीड़ित बच्चों के मामलों में त्वरित, संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करते समय बाल मैत्री सूचकों की पालना किया जाना आवश्यक है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अथवा स्थानीय पुलिस द्वारा अपनाये जाने वाले बाल मैत्री सूचक निम्नानसुार है :-

रूख (Attitude)

- बच्चों की परिस्थितियों एवं उसकी सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा/ पूर्वाग्रह नहीं रखना।
- बच्चों की परिस्थितियों के लिए केवल उन्हें एवं उनके परिवार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना।
- बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विनम्रता से व्यवहार करना।
- बच्चों को सुनना एवं उसके साथ सामान्य अपराधी जैसा बर्ताव नहीं करना।
- बच्चों का शोषण, हिंसा एवं उत्पीड़न अस्वीकार्य है।
- बच्चों के साथ कार्य करते समय ''बच्चे ने ऐसा कृत्य क्यों किया है'' ना कि ''बच्चे ने क्या किया है पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

वातावरण (Environment)

- बच्चों से बातचीत करने के लिए पुलिस थाने में अलग बाल मैत्री स्थान/कमरा होना।
- बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनमें भोजन, पानी की व्यवस्था

करना शामिल है।

- बालिकाओं से बातचीत करने के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना।
- पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बोर्ड, समिति एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम, दूरभाष नम्बर एवं बोर्ड/समिति के बैठने की तिथि एवं निश्चित समय अंकित होना।
- पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर फ्री लीगल एड लॉयर, पैरा लीगल वॉलेंटियर एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की सूची नाम मय दूरभाष नम्बर अंकित होना।

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे एवं पीड़ित बच्चे के संबंध में

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से हितैषी एवं संरक्षक के रूप में व्यवहार करना तथा उनके हित को सर्वोपरि मानना।
- बच्चों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- बच्चे के सामने किसी भी अन्य व्यक्तियों पर चिल्लाना, डांटना एवं अपमानित नहीं करना, ताकि बच्चा स्वयं को भयभीत महसूस नहीं करे।
- पुलिस कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों का कार्यस्थल पर तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- बच्चों से संवाद के समय मोबाईल/फोन पर बात नहीं करना।
- पुलिस कर्मचारियों में बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की जानकारी होना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्यवाही करना।
- बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता को बनाये रखना।
- प्रत्येक पुलिस थाने में बच्चों के मामलों को देखने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपलब्ध होना।

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों से जुड़ी कार्यवाही के दौरान साधारण कपड़ों (सिविल ड्रेस) में होना।
- सक्रियता एवं समयबद्धता से गुमशुदा एवं प्राप्त बच्चों के परिवार को तलाशने की कार्यवाही करना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी बातों पर विचार करना।
- प्रत्येक बच्चों की सुव्यवस्थित केस डायरी/फाईल संधारित करना।
- बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना।
- बच्चों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा चुने गए स्थान पर विनम्रता से बयान दर्ज करना।
- बालिकाओं के प्रकरणों में महिला पुलिसकर्मी का सहयोग लेना।
- पीड़ित बच्चों एवं उनके परिवार को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- पुलिस शिनाख्त/पहचान के दौरान अपराधी का पीड़ित बच्चों से संपर्क नहीं होना।
- बच्चों के अभिभावकों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना तथा परिस्थितियों के अनुरूप कारणों का उल्लेख करते हुए उन्हें बच्चों से अलग रहने हेतु अनुरोध करना।
- बच्चों की सही उम्र सत्यापन की कार्यवाही करना।
- किसी भी स्थिति में बच्चों को रात्रि के समय थाने में नहीं रखा जाना।
- पीड़ित बच्चों एवं उनके परिवार को सपोर्ट पर्सन एवं पैरा लीगल वॉलेंटियर की सेवाएं की उपलब्धता की जानकारी देना।
- बच्चों के माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति के सामने बच्चों द्वारा बोले गए कथन को हूबहू लेखबद्ध करना।
- बच्चों के कथन को ऑडियो-विडियो के माध्यम से अभिलिखित करना।
- पुलिसकर्मियों द्वारा सकारात्मक अनुशासन के जरिये बच्चों से व्यवहार करना।
- बाल दुर्व्यवहार की घटनाओं को कम करना तथा शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करना।
- पुलिस थाने में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का नहीं होना सुनिश्चित करना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों एवं उसके परिवार को निःशुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता से अवगत कराना।
- लैंगिंक हमले से पीड़ित बच्चों का शीघ्रताशीघ्र चिकित्सा परीक्षण कराना तथा उपचार सुनिश्चित करवाना।
- पीड़ित बच्चों तथा उसके परिवार को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 एवं अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना।

- शोषण/हिंसा से पीड़ित बच्चे के प्रकरण में बच्चों तथा उसके परिवार को प्रकरण की प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी देना, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराना।

विधि से संघर्षरत बच्चों के संबंध में

व्यवहार एवं आचरण (Behaviour and Conduct)

- बच्चों के साथ जाति, लिंग, रंग, धर्म, क्षेत्रियता, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना।
- बच्चों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव-भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे एवं आवाज के संदर्भ में बाल अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना।
- बच्चों से हितैषी एवं संरक्षक के रूप में व्यवहार करना तथा उनके हित को सर्वोपरि मानना।
- बच्चों में विश्वास एवं सुरक्षा की भावना पैदा करना।
- पुलिस कर्मचारियों द्वारा बच्चों को शारीरिक स्पर्श नहीं करना।
- बच्चों को शारीरिक दण्ड/मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।
- बच्चे के सामने किसी भी अन्य व्यक्तियों पर चिल्लाना, डांटना एवं अपमानित नहीं करना, ताकि बच्चा स्वयं को भयभीत महसूस नहीं करे।
- बच्चों की परिस्थिति एवं मनोव्यथा को समझने का प्रयास करना।
- बच्चों से बातचीत करते समय कलंकित/अशोभनीय शब्दों एवं भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का तम्बाकू अथवा अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना।
- बच्चों से संवाद के समय मोबाईल/फोन पर बात नहीं करना।
- पुलिस कर्मचारियों में बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों की जानकारी होना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का बच्चों से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों पर प्रशिक्षित होना।

पद्धति एवं प्रक्रिया (Practice and Process)

- बच्चों के आत्मसम्मान एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्यवाही करना।
- बच्चों की निजता एवं उनके प्रकरणों की गोपनीयता को बनाये रखना।
- बच्चों द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी बातों पर विचार करना।
- प्रत्येक पुलिस थाने में बच्चों के मामलों को देखने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उपलब्ध होना।

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों से जुड़ी कार्यवाही के दौरान साधारण कपड़ों (सिविल ड्रेस)में होना।
- प्रत्येक बच्चों की सुव्यवस्थित केस डायरी/फाईल संधारित करना।
- बच्चों का नाम, फोटो एवं पहचान उजागर नहीं करना तथा इसे मीडिया में प्रकाशित नहीं कराना।
- बालिकाओं के प्रकरणों में महिला पुलिसकर्मी का सहयोग लेना।
- विधि से संघर्षरत बच्चों एवं उनके परिवार को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- बच्चों की सही उम्र सत्यापन की कार्यवाही करना।
- किसी भी स्थिति में बच्चों को रात्रि के समय थाने में नहीं रखा जाना।
- बच्चों एवं उनके परिवार को पैरा लीगल वॉलेंटियर एवं लीगल एड लॉयर की सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी देना।
- बच्चों के माता-पिता या भरोसेमंद व्यक्ति के सामने उनके द्वारा बोले गए कथन को हूबहू लेखबद्ध करना।
- बच्चों के कथन को ऑडियो-विडियो माध्यम से अभिलिखित करना।
- विधि से संघर्षरत बालिकाओं को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पहले गिरफ्तार नहीं करना।
- बच्चों को हथकड़ी नहीं लगाना तथा लॉकअप में नहीं रखना।
- बच्चों को अपराध स्वीकार करने तथा किसी कथन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं करना।
- बच्चों को सुनना एवं उसके साथ सामान्य अपराधी जैसा बर्ताव नहीं करना।
- विधि से संघर्षरत बच्चों को यथासंभव पुलिस थाने स्तर पर जमानत पर छोड़ना।
- वैश्यावृति एवं अनैतिक कार्यों में लिप्त बालिकाओं को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिका मानकर बाल कल्याण समिति को सौंपना।
- पुलिसकर्मियों द्वारा सकारात्मक अनुशासन के जरिये बच्चों से व्यवहार करना।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चों एवं उसके परिवार को निःशुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता से अवगत कराना।

7
अध्याय

बच्चों के प्रकरणों में पुलिस द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले प्रपत्र

भाग-1

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के तहत पुलिस द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रपत्र

प्रपत्र -1

{ नियम 8 (1), 8 (5) }

सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट

प्राथमिकी/डी.डी. संख्या ....

धारा के अधीन..

पुलिस स्टेशन ....

तारीख एवं समय..

अन्वेषण अधिकारी का नाम..

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम. ....

1. नाम..
2. पिता/माता/संरक्षक का नाम ....
3. आयु/जन्म की तारीख ....
4. पता..
5. धर्म

   (i) हिन्दु (सामान्य/बीसी/एससी/एसटी)

   (ii) मुस्लिम/ईसाई/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. यदि बालक विकलांग है:

(i) सुनने में अक्षम

(ii) बोलने में अक्षम

(iii) शारीरिक रूप से विकलांग

(iv) मानसिक रूप से निःशक्त

(v) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

7. परिवार का विवरण

क्र.सं.	नाम तथा संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मानसिक बिमारी का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हों)

8. घर छोड़ने के कारण

9. क्या अपराधों में परिवार के सदस्यों के लिप्त होने का पूर्ववृत्त है ?, यदि कोई हो। हां/नहीं

10. बालक की आदतें

क	ख
धुम्रपान	टी.वी. फिल्में देखना
शराब का सेवन करना औषधियों का उपयोग विनिर्दिष्ट करें जुआ खेलना	अंतरंग खेल/बहिरंग खेल खेलना पुस्तकें पढ़ना ड्राइंग/पेंटिंग/एक्टिंग/गायन
भीख मांगना कोई अन्य	कोई अन्य

11. रोजगार के विवरण, यदि कोई हो

12. आय के उपयोग:

(i) परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवार को भेजी — हां/नहीं

(ii) स्वयं द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग की गई: — हां/नहीं

(क) पहनावा सामग्री — हां/नहीं

(ख) जुए के लिए — हां/नहीं

(ग) शराब के लिए — हां/नहीं

(घ) मादक औषधियों के लिए — हां/नहीं

(ड.) धूम्रपान के लिए — हां/नहीं

(च) बचत — हां/नहीं

13. बालक की शिक्षा के विवरण :

(i) निरक्षण

(iii) पांचवीं कक्षा तक अध्ययन

(iii) कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम

(iv) कक्षा दस से अधिक पढ़ाई की

14. स्कूल छोड़ने का कारण :

(i) पिछली कक्षा जिसमें पढ़ रहा था, फेल हुआ

(ii) स्कूल के कार्यकलापों में रूचि का अभाव

(iii) अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार

(iv) समकक्ष-समूह का प्रभाव

(v) अर्जन और परिवार की मदद करना

(vi) माता-पिता की असामयिक मृत्यु

(vii) स्कूल में उत्पीड़न

(viii) स्कूल का प्रतिकुल वातावरण

(ix) अनुपस्थिति के उपरांत स्कूल से भाग जाना

(x) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव

(xi) स्कूल में दुर्व्यवहार

(xii) स्कूल में अपमान

(xiii) शारीरिक दंड

(xiv) शिक्षण का माध्यम

(xv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

15. पिछला स्कूल जहां अध्ययन किया उसका विवरण:

(i) निगम/नगर-निगम/पंचायत

(ii) सरकारी/अनु.जा.कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल

(iii) निजी प्रबंधन

(iv) एन.सी.एल.पी. के अन्तर्गत विद्यालय

16. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो

17. अधिकांश मित्र :

(i) शिक्षित

(ii) निरक्षण

(iii) उसी आयु वर्ग के

(iv) आयु में बड़े

(v) आयु में छोटे

(vi) एक ही लिंग के हैं

(vii) अन्य लिंग के हैं

(viii) व्यसन

(ix) आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं

18. क्या बालक किसी दुर्व्यव्हार के अध्यधीन रहा है ? :- हां/नहीं

क्र.सं.	दुर्व्यवहार के प्रकार	अभ्युक्ति
1.	मौखिक दुर्व्यवहार - माता-पिता/सहोदर भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
2.	शारीरिक दुर्व्यवहार (कृपया निर्दिष्ट करें)	
3.	लैंगिक दुर्व्यवहार/माता-पिता/सहोदय/भाई-बहन/ नियोक्ता/अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	
4.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	

19. क्या बालक किसी अन्य अपराध का पीड़ित है ? हां/नहीं

20. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को मादक औषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ? हां/नहीं

21. माता-पिता की उपेक्षा अथवा अधिक संरक्षण अथवा हमउम्र ग्रुप के प्रभाव आदि जैसे तथाकथित अपराध का कारण :

....

22. वे परिस्थितियां, जिनमें बालक को पकड़ा गया

....

23. बालक से प्राप्त हुए सामान का ब्यौरा

....

24. अपराध में बालक की तथा कथित भूमिका

....

25. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के सुझाव

....

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित

प्रपत्र 2

[नियम 8 (7)]

उस माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की वचनबद्धता जिसे जांच के लंबन के दौरान अंतरिम दी गई है।

मैं .... (नाम) मकान नं. .... गांव/शहर ....जिला... राज्य .... का........................... निवासी, यह घोषणा करता हूं कि मैं .... (बालक का नाम) आयु .... का उत्तरदायित्व बोर्ड के आदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन लेने को तैयार हूँ :-

1. कि मैंने स्वयं की, सही प्रमाणिक पहचान तथा पते के प्रमाण उपाबद्ध कर दिए हैं।
2. कि मैं जब कभी अपेक्षित होगा, बोर्ड के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता हूँ।
3. कि जितने समय तक बालक मेरी अभिरक्षा में रहेगा उसके कल्याण तथा उसकी शिक्षा के लिए सर्वोत्तम करूँगा एवं उसके रख-रखाव के लिए उपयुक्त प्रबंध करूंगा।
4. कि उसकी बीमारी की स्थिति में, उसे नजदीकी अस्पताल में उपयुक्त चिकित्सा जांच दिलवाई जाएगी तथा स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ उसकी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5. कि मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूँगा, कि बालक किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार/उपेक्षा/शोषण के अध्यधीन नहीं होगा।
6. कि यदि उसके आचरण के लिए आगे पर्यवेक्षण देखरेख अथवा संरक्षण की जरूरत होगी, तो बोर्ड को तुरंत सूचित करूँगा।
7. कि यदि बालक मेरी निगरानी अथवा नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो मैं बोर्ड को तत्काल सूचित करूँगा।

दिनांक .... दिन ....20 ....

....

वचनबद्धता निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

प्रपत्र 17

[(नियम 18 (2), 19(25)]

बच्चे की समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश जाने वाली रिपोर्ट

मामला सं. ....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया ....

प्रस्तुत करने की तिथि .... प्रस्तुत करने का समय ....

प्रस्तुत करने का स्थान ....

1. बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण :
   - I. व्यक्ति का नाम ....
   - II. उम्र ....
   - III. लिंग ....
   - IV. पता ....
   - V. दूरभाष संख्या..
   - VI. व्यवसाय/पदनाम ....
   - VII. संगठन/CCI/SSA का नाम ....
2. प्रस्तुत किया गया बालक :
   - I. नाम (यदि कोई है)...
   - II. आयु (आयु लिखें/शारीरिक रूप के आधार पर आयु लिखें)
   - III. लैंगिकता ....
   - IV. पहचान चिन्ह ....
   - V. बच्चे की भाषा.....................................
3. माता-पिता/संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो):
   - I. नाम ....
   - II. आयु ....
   - III. पता ....
   - IV. संपर्क (फोन/मोबाईल नम्बर).......................................
   - V. व्यवसाय/पदनाम ....
   - VI. व्यवसाय.......................................

4. स्थान जहां बच्चा प्राप्त हुआ ....

5. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया :

   I. नाम ....

   II. आयु ....

   III. पता ....

   IV. फोन/मोबाईल नम्बर ....

   V. व्यवसाय..

6. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया ....

7. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध/दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण ....

   ....

8. बच्चे की शारीरिक स्थिति ....

9. प्रस्तुति के समय बच्चे का सामान ....

10. बच्चे के CCI/SAA में आने की तिथि और समय ....

11. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयास..

12. क्या बच्चे की चिकित्सा जांच की गई है ? ....

13. क्या पुलिस को सूचित किया गया है ? ....

बच्चे के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

....

बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तिके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

पुलिस-स्थानीय पुलिस/विशेष किशोर पुलिस इकाई/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/रेवले पुलिस/परिवीक्षा अधिकारी/लोक सेवक/समाज कल्याण संगठन/सामाजिक कार्यकर्ता/CCI/SAA का प्रभारी व्यक्ति/एसएए/कोई भी नागरिक/स्वयं बालक अथवा बालिका (जो भी लागू हो, भरा जाए)

प्रारुप 22

[नियम 19 (8)]

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

1. क्रम संख्या...

2. बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत.......................................

3. मामला संख्या...

4. जिला बाल संरक्षण एकाई/सामाजिक कार्यकर्ता/मामले पर कार्य करने वाला कर्मचारी/गृह का प्रतिनिधि व्यक्ति/गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि द्वारा तैयार सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

5. संरक्षण और देखभाल की आवश्यकता वाले बालक का विवरण

   (i) नाम..

   (ii) आयु...तिथि/मास/वर्ष...................................

   (iii) लिंग...

   (iv) जाति : (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

   सामान्य

   अनुसूचित जाति

   अनुसूचित जनजाति

   अन्य पिछड़ा वर्ग

   अन्य, विनिर्दिष्ट करें.....................................

   ज्ञात नहीं...

   (v) धर्म...

   (vi) पिता का नाम..

   (vii) माता का नाम..

   (viii) संरक्षक का नाम...

   (ix) स्थायी पता...

   (x) पते की पहचान...

   (xi) पिछले निवास का पता..

   (xii) पिता/माता/पारिवारिक सदस्य/संरक्षक की सम्पर्क सूचना..............................

(xiii) क्या बालक को व्याख्यता/अनुवादक की आवश्यकता है ? हां/नहीं

(xiv) क्या बालक - अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित/अन्य है ?

(xv) पूर्व संस्थानिक/मामला इतिहास एवं व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई है ....

(xvi) पारिवारिक विवरण : (हां/नहीं), यदि हां, तो...

क्र.सं.	नाम और संबंध	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य संबंधी प्रास्थिति	मानसिक अस्वस्थता का इतिहास	नशे की लत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(xvii) परिवार के सदस्यों के बीच संबंध :

पिता और माता	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
पिता और बालक	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
माता और बालक	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
पिता और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
माँ और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
बालक और भाई-बहन	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं
बालक और संबंधी	सौहार्दपूर्ण/गैर सौहार्दपूर्ण/ज्ञात नहीं

6. समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के पूर्व बालक किसके साथ रह रहा था। (यथा लागू को सही का निशान लगाएं) :

अभिभावक - माता/पिता/दोनों

सहोदर भाई - बहन/सगे-संबंधी

अभिभावक-संबंधी

मित्र

गलियों में

रात्रि आश्रय स्थल

अनाथ/छात्रावास/समान गृह

बाल देखरेख संस्था :

बाल गृह

आश्रय गृह

विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी

उपयुक्त सुविधा

अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)..

7. अनाथ और परित्यक्त बालक की दशा में :

(i) बालक कहां मिला ?..

(ii) बालक के जैविक माता-पिता/संबंधियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? कृपया विनिर्दिष्ट करें ....

(iii) यदि बालक के जैविक आधार ज्ञात हों, तो बालक के माता-पिता दोनों की मृत्यु के कारण..

8. क्या बालक को वापस घर भेजने की आवश्यकता है ? हाँ/नहीं। यदि हां तो टीक करें -

अंतर जिला - घर वापसी

अंतर राज्य - घर वापसी

अंतर देशीय - घर वापसी

9. क्या बालक प्रायोजन के लाभ के लिए पात्र है ? हाँ/नहीं

10. क्या बालक किसी स्कीम या हकदारी के लिए पात्र है ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)......

11. क्या बालक को किसी माता-पिता की मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिकर मिला है ? हाँ/नहीं,

कृपया विनिर्दिष्ट करें...................................

12. क्या बालक को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के अधीन लाभ मिलना चाहिए ? हां/नहीं

13. बालक के लिए अनुशंसित वित्तीय सहयोग :

(i) क्या बालक को माता-पिता के पास उनकी आकस्मिक मृत्यु से पहले कोई संपत्ति/एफडी/नकद/बीमा/बैंक खाते थे ? हां/नहीं, उसके विवरण....................

(ii) क्या बालक के माता-पिता के पास कोई ऋण, बंधक, वित्तीय देनदारियां हैं ? (हां/नहीं) उसके विवरण........................

(iii) क्या उस बंधक के खिलाफ बालक के माता-पिता के पास कोई संपाश्र्विक है ? हां/नहीं। उसके विवरण..........

(iv) क्या बालक के माता-पिता को कोई पारिवारिक कारबार है ? हां/नहीं। उसके विवरण...

(v) क्या बालक मृत माता-पिता से संपत्ति (स्व-अर्जित/पैतृक) में कोई अधिकार/हिस्सा प्राप्त किया है ? हां/नहीं, उसके विवरण.............

14. बालक की शिक्षा के विवरण :

(i) क्या बालक ने शिक्षा प्राप्त की है ? हाँ/नहीं

(ii) यदि हाँ, तो किस कक्षा तक की शिक्षा विनिर्दिष्ट करें....................

(iii) यदि बालक विद्यालय में नामांकित है, तो विद्यालय का नाम...........................

(iv) क्या बालक का विद्यालय शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली पर पंजीकृत है ? यदि हाँ, शिक्षा संहिता के लिए राज्य एकीकृत जिला सूचना प्रणाली.....................
....

(v) विद्यालय का प्रकार-सरकारी/प्राइवेट।

(vi) क्या बालक को विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकित किया गया है ? हाँ नही। यदि हाँ, तो विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में बालक के नामांकन की अवधि विनिर्दिष्ट करें.................
....

(vii) क्या विशेष प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय/गैर-आवासीय था ?

(viii) विद्यालय छोड़ने का कारण (यथा लागू को सही का निशान लगाएं) :

- ☐ पिछली कक्षा में विफल
- ☐ विद्यालय की गतिविधियों में कम रूचि
- ☐ अध्यापकों का असामान्य व्यवहार
- ☐ साथी-समूह का प्रभाव
- ☐ परिवार के लिए कमाना और सहायता करना
- ☐ अभिभावकों की अचानक मृत्यु
- ☐ विद्यालय में अन्य छात्रों द्वारा अवहेलना
- ☐ सख्त विद्यालय वातावरण
- ☐ विद्यालय से भागने के कारण अनुपस्थिति
- ☐ निकट में उचित स्तर का विद्यालय नहीं है
- ☐ विद्यालय में प्रताड़ना

☐ विद्यालय में अवमानना

☐ शारीरिक दंड

☐ निर्देश का माध्यम

☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

(ix) बालक के प्रति सहपाठियों का रवैया (यदि लागू हो)..

(x) बालक के प्रति शिक्षकों और सहपाठियों का रवैया (यदि लागू हो)......................

(xi) व्यावसायिक प्रशिक्षण (यदि कोई हो)..

15. महत्व के अन्य कारक यदि कोई हो.. ।

16. बालक की आदतें : (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

टीवी/फिल्म देखना

इंडोर/आउटडोर खेल खेलना

पुस्तकें पढ़ना

ड्राइंग/चित्रकारी/कलाकारी/गाना

धार्मिक गतिविधियां

भिक्षा वृत्ति

जुआ खेलना

शराब का सेवन करना

धूम्रपान करना

नशीली दवाओं का उपयोग यदि कोई हो तो विनिर्दिष्ट करें.........................

अन्य कोई हो तो, कृपया विनिर्दिष्ट करें..

17. पाठ्येतर रुचियां..

18. उत्कृष्ट विशेषताएं और व्यक्तित्व लक्षण..

19. अधिकांश मित्र हैं (यथा लागू को सही का निशान लगाएं)

शिक्षित

समान आयु वर्ग के

उम्र में बड़े

उम्र में छोटे

पुरुष

महिला

व्यसन/लत

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक

20. यदि बालक वयस्कों का मित्र है, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें..................................

21. दोस्तों के प्रति बालक का नजरिया/रवैया..

22. बालक के प्रति मित्रों का नजरिया/रवैया..

23. पड़ोस के बारे में पर्यवेक्षण (बालक पर आस-पड़ोस के प्रभाव पर पर्यवेक्षण करने के लिए)..................

24. क्या बालक को कोई लत है-हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें........................

25. यदि बालक दिव्यांगता या विशेष आवश्यकता से ग्रस्त है या अंतिम रूप से बीमार है (यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें):

क. बालक की स्वास्थ्य प्रास्थिति:

(i) श्वसन संबंधी विकार - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(ii) श्रवण दोष - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(iii) नेत्र रोग - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(iv) दंत रोग - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(v) हृदय रोग - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(vi) चर्म रोग - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(vii) यौन संचारित रोग - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(viii) स्नायविक विकार - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(ix) मानसिक दिव्यांगता - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(x) शारीरिक दिव्यांगता - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(xi) मूत्र मार्ग में संक्रमण - उपस्थित/अज्ञात/अनुपस्थित

(xii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)......................................

ख. क्या बालक दिव्यांग है - हाँ या नहीं, यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें:

(क) श्रवण दोष

(ख) भाषण दोष

(ग) शारीरिक अक्षमता

(घ) मानसिक दिव्यांगता

(ङ) लोकोमोटिव दिव्यांगता

(च) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)................................

ग. क्या बालक के पास दिव्यांग होने का वैध्य प्रमाण पत्र है ? हाँ या नहीं, यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें –

घ. बालक की मानसिक स्थिति: (वर्तमान और अतीत)............................

ड. बालक की शारीरिक स्थिति: (वर्तमान और अतीत)............................

च. क्या बालक को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है ? हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें

छ. वर्तमान स्कूली पाठ्यक्रम में पहले से ही विशेष शिक्षा सम्मिलित है : हां/नहीं/लागू नहीं

ज. क्या बालक को किसी चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता है या वह उपचार ले रहा है ?(यदि हां, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)............................

झ. पूर्व संस्थानिक/मामला पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत देखभाल योजना यदि कोई हो तो .. ..

ण. क्या बालक को दिव्यांगता योजनाओं के अधीन कोई पेंशन मिल रही है ? हां/नहीं (यदि हां तो विनिर्दिष्ट करें)...................

ट. कोई अन्य टीका-टिप्पणी/पर्यवेक्षण..

26. यदि बालक बेसहारा बालकों/दुर्व्यापार वाले/नशीले पदार्थों/बाल श्रम की तस्करी में सम्मिलित बालकों से संबंधित है:

(क.) क्या बालक बेसहारा स्थिति में बालकों के अंतर्गत किसी भी श्रेणी का है ? हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें:

(i) बिना सहारे के बालक अकेले सड़कों पर रहते हैं

(ii) बालक दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाते हैं जो पास की झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं।

(iii) अपने कुटुम्ब के साथ सड़कों पर रहने वाले बालक:

ख. समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बालक किसके साथ रह रहा था :

(i) माता-पिता - माता या पिता/दोनों

(ii) भाई-बहन/रक्त संबंधी

(iii) अभिभावक-संबंधी

(iv) मित्र

(v) गली में

(vi) रात्रि आश्रय स्थल

(vii) अनाथालय/छात्रावास/इसी तरह के समान गृह

(viii) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)...................

ग. यदि बालक का घर से भागन का इतिहास/प्रवृत्ति है, हां/नहीं। यदि हाँः

(i) घर में अनुशासन के प्रति माता-पिता का रवैया और बालक की प्रतिक्रिया क्या है..............

(ii) परिवार छोड़ने के कारणः

(क) माता-पिता/अभिभावक/सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार

(ख) रोजगार की तलाश में

(ग) सहकर्मी समूह प्रभाव

(घ) माता-पिता की अक्षमता

(ड़) माता-पिता का आपराधिक रिकॉर्ड

(च) माता-पिता का अलगाव

(छ) माता-पिता की मृत्यु

(ज) गरीबी

(झ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)...................

घ. बालक कहाँ पाया गया था, कृपया विनिर्दिष्ट करें.......................

ड. क्या बालक को भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया है ? हां/नहीं..............

च. क्या बालक कूड़ा बीनने में शामिल रहा है ? हाँ/नहीं।

छ. क्या बालक किसी गिरोह या वयस्कों या वयस्कों के समूह द्वारा उपयोग किया जाता है या नशीली दवाओं की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया है ? हाँ/नहीं

ज. क्या बालक को किसी उद्‌देश्य के लिए खरीदा या बेचा या दलाली या दुर्व्यापार किया गया है ? हाँ/नहीं, यदि हाँः

झ. क्या माता-पिता की जानकारी में बालक का दुर्व्यापार किया गया था ? हां/नहीं

ण. क्या बालक को माता-पिता/रिश्तेदारों द्वारा बेचा गया था ? हां/नहीं

यदि हाँ, तो क्या माता-पिता/रिश्तेदारों के विरूद्ध काई कार्रवाई की गई है ? हाँ/नहीं

ट. क्या बालक को श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया था ? हां/नहीं, यदि हांः

(i) उद्योग जिसमें बालक कार्यरत था.................................

(ii) क्या बालक को काम पर शोषण का सामना करना पड़ा है ? हाँ/नहीं

(क) भुगतान कि बिना काम से निकाला गया

(ख)काम की लंबी अवधि के साथ कम या कम मजदूरी

(ग) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)........................

(iii) आय उपयोग का विवरण.............................

(iv) बालक के सामने कोई व्यावसायिक खतरा: हाँ/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें..............

(v) क्या नियोक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? हां/नहीं। यदि हाँ, तो मामले का विवरण विनिर्दिष्ट करें...

(vi) बालक को दिया गया मुआवजा:

(क) अंतरिम

(ख) अंतिम

(ग) बाल श्रम पुनर्वास सह कल्याण कोष

(ठ) पिछली संस्थागत/केस हिस्ट्री और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो ....

(ड) क्या बालक को अस्थायी आश्रय प्रदान किया गया है? हाँ/नहीं

(ढ) क्या बालक के पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई गई है? निर्दिष्ट करें ....

(ण) कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन ....

27. यदि बालक ने यौन शोषण सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना किया है, या किसी अपराध का शिकार हुआ है:

क. क्या बालक किसी अपराध का शिकार हुआ है? हां/नहीं

ख. बालक द्वारा सामना किए गए दुर्व्यवहार के प्रकार:

(क) मौखिक दुर्व्यवहार - माता-पिता/भाई-बहिन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).........

(ख)शारीरिक शोषण - माता-पिता/भाई-बहिन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).........

(ग) यौन शोषण द्वारा (यदि लागू हो तो टिक करें)

☐ सगे रिश्तेदार

☐ गोद लेने द्वारा रिश्तेदार

☐ विवाह द्वारा रिश्तेदार

☐ संरक्षकता द्वारा रिश्तेदार

☐ पालक देखभाल में व्यक्ति

☐ एक ही या साझा घर में रहने वाला व्यक्ति

☐ किसी बालक को सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था के स्वामित्व, या प्रबंधन, या कर्मचारियों में कोई भी व्यक्ति

☐ विश्वास या अधिकार की स्थिति में कोई भी व्यक्ति

☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)...

(घ) अन्य-माता-पिता/भाई-बहन/नियोत्त्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..... ....

ग. बालक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के प्रकार:

(i) भोजन देने से इनकार - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ii) बेरहमी से पीटा गया - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(iii) चोट पहुँचाना - माता-पिता/भाई-बहन/नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)....

(iv) कैद- माता-पिता/भाई-बहन/ नियोक्ता/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)......

(v) अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..........................

घ. यौन शोषण के मामले में :

(i) अपराधी के साथ संबंध ....

(ii) अपराधी का लिंग ....

(iii) अपराधी की आयु ....

(iv) बालक अपराधी के संपर्क में कैसे आया ....

(v) उसी स्थान का कोई अन्य बालक जिसे अपराधी द्वारा दुर्व्यवहार/ प्रताड़ित/ उठाया/ भेजा गया हो ....

(vi) क्या कोई अन्य व्यक्ति/लोग अपराध में शामिल थे ?...........................

(vii) क्या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बालक को किसी मुआवजे की सिफारिश की गई है ? हां/नहीं।

यदि अन्य कोई हो, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें ....

ड. पुलिस द्वारा दर्ज मामला/एफआईआर : हां/नहीं। यदि हां, तो विनिर्दिष्ट करें ....

च. क्या बालक साइबर धमकी का शिकार हुआ है ? हां/नहीं। अगर हाँ:

(i) घर पर इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करते समय साइबर धमकी

(ii) स्कूल में इंटरनेट सिस्टम का उपयोग करते समय साइबर धमकी

(iii) घर से स्कूल की कक्षाओं में भाग लेने के दौरान साइबर-धमकी

छ. क्या बालक को परामर्श दिया गया है ? हां/नहीं, यदि हां, तो विवरण प्रदान करें ....

ज. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन ....

झ. पूर्व संस्थागत/केस हिस्ट्री और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो ....

28. यदि बालक बाल विवाह से पीड़ित है या विवाहित है:

क. पति या पत्नी का नाम ....

ख. पति या पत्नी की आयु ....

ग. विवाह की तिथि (दिन/मास/वर्ष)..

घ. विवाह का स्थान ....

ड. बालक का विवाह कराने के कारण ....

च. बालक के विवाह कराने में शामिल लोग:

(i) माता-पिता

(ii) रिश्तेदार

(iii) अन्य

छ. यदि अन्य है, तो कृपया विनिर्दिष्ट करें ....

ज. क्या पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया है ? हां/नहीं।

यदि हां, तो ब्यौरा दें ....

झ. यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो उसका विवरण ....

ण. कोई अन्य टिप्पणी/अवलोकन..

29. क्या बालक को प्रत्यावासित (Repatriated) करने की आवश्यकता है ?हाँ/नहीं।अगर हाँ:

(i) अंतर-जिला प्रत्यावासन (Repatriation)

(ii) अंतरराज्यीय प्रत्यावासन (Repatriation)

(iii) अंतर-देशीय प्रत्यावासन (Repatriation)

जांच का अवलोकन :-

30. भावनात्मक कारक ....

31. शारीरिक स्थिति ....

32. सामाजिक और आर्थिक कारक ....

33. समस्याओं के विचारोत्तेजक कारण ....

34. मामले का विश्लेषण, अपराध के कारणों/योगदान कारकों सहित.......

35. बालक की देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता के कारण ....

36. विशेषज्ञों की राय ली गई ....

37. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का मूल्यांकन ....

38. बालक के जीवित माता-पिता/रिश्तेदारों/अभिभावक को सौंपे जाने के जोखिम का विश्लेषण.........

39. पिछला संस्थागत/मामला इतिहास और व्यक्तिगत देखभाल योजना, यदि कोई हो.......

40. जिला बाल संरक्षण इकाई/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता की मनोवैज्ञानिक सहायता, पुनर्वास और बच्चे के पुनः एकीकरण के संबंध में सिफारिश और सुझाई गई योजना ....

हस्ताक्षर

(अधिकृत व्यक्ति के)

प्रपत्र 42

[नियम 69 (घ) (4)]

रातभर का संरक्षण प्रवास

जिस (बालक/बालिका का नाम)............................. को आज निरूद्ध किया गया है/पाया गया है, जिसे .... (संस्था का नाम) में रातभर के संरक्षण प्रवास की आवश्यकता है।

उक्त बालक/बालिका को....................................(बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का नाम व पद)..(पुलिस स्टेशन का नाम) के द्वारा पेश किया गया है। बालक/बालिका को संरक्षण प्रवास में रखने के लिए अपेक्षित आवेदन एवं चिकित्सा रिपार्ट में वर्णित बालक/बालिका की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का संस्थान के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अवलोकन कर लिया गया है।

उक्त बालक को.........................बजे संस्थान में लाया गया है एवं अगले दिन............................बजे (नियत समय) या उससे पहले संबंधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा।

बालक/बालिका के पास उपलब्ध व्यक्तिगत वस्तुओं की गहन छानबीन की गई है और निम्नलिखित वस्तुएं ....(यदि कोई हो) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई है।

अगर संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियत समय पर बालक/बालिका की अभिरक्षा लेने में असफल रहता है, तो संस्थान के प्रभारी व्यक्ति द्वारा ऐसे बालक/बालिका को बाल न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति (जैसा भी मामला हो) के समक्ष अविलम्ब पेश किया जाएगा।

प्रतिलिपि :

1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
2. किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति
3. प्रभारी व्यक्ति, बाल देखरेख संस्थान (जहां बालक को रातभर का संरक्षण प्रवास दिया जाएगा)

आज तारीख......................का.............20

(हस्ताक्षर)
संस्था का प्रभारी व्यक्ति

(हस्ताक्षर)
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

भाग-2

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020

प्रारूप-क

सूचना एवं सेवाएं प्राप्त करने के लिए यौन शोषण से पीड़ित बालकों का अधिकार

1. एफ.आई.आर. की प्रति प्राप्त करना।
2. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
3. सिविल अस्पताल/पीएचसी, आदि से शीघ्र और निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण प्राप्त करना।
4. मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह प्राप्त करना।
5. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग, बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान प्राप्त करना।
6. जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो तथा बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो, तो बाल देखरेख संस्थान के माध्यम से देखरेख, संरक्षण एवं आश्रय सुविधाएं प्राप्त करना।
7. बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद पाना।
8. मुकद्मे के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना।
9. जहां आवश्यक हो, दुभाषिये या अनुवादक की सेवाएं प्राप्त करना।
10. यदि बालक दिव्यांग/अक्षम है, तो विशेष शिक्षक या विशिष्ट व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करना।
11. निःशुल्क विधिक सहायता पाना।
12. बाल कल्याण समिति द्वारा समर्थन व्यक्ति को नियुक्त किया जाना।
13. शिक्षा जारी रखना।
14. निजता और गोपनीयता।
15. जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की सूची प्राप्त करना।

दिनांकः-

मैंने 'प्रारूप-क' की एक प्रति प्राप्त की है।

हस्ताक्षर (पीड़ित/माता-पिता/संरक्षक)	ड्यूटी अधिकारी
नाम-...	नाम-...
पीड़ित से संबंध-.............................	पद-...
	पुलिस थाना-.............................

प्रारूप-ख
प्रारंभिक आंकलन रिपोर्ट

क्र.सं.	मापदंड	टिप्पणी
1.	पीड़ित की उम्र	
2.	अपराधी से बालक का संबंध	
3.	अपराध का प्रकार और उसकी गंभीरता	
4.	बालक की चोट की गंभीरता, मानसिक और शारीरिक नुकसान का विवरण	
5.	क्या बच्चा विकलांग (शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक) है ?	
6.	पीड़ित के माता-पिता की आर्थिक स्थिति, बालक के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या, बालक के माता-पिता का व्यवसाय और परिवार की मासिक आय के बारे में विवरण	
7.	क्या पीड़ित की मृत्यु हो गई है या वर्तमान मामले की घटना के कारण किसी चिकित्सा उपचार से गुजर रहा है या अपराध के कारण चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है ?	
8.	क्या मानसिक आघात, शारीरिक चोट, चिकित्सा उपचार, जांच और परीक्षण या अन्य कारणों से स्कूल से अनुपस्थिति सहित अपराध के परिणामस्वरूप शैक्षिक अवसर का नुकसान हुआ है ?	
9.	क्या दुर्व्यवहार एक अलग-थलग घटना थी या क्या यह दुर्व्यवहार समय के साथ हुआ था ?	
10.	क्या पीड़ित के माता-पिता को किसी प्रकार का इलाज चल रहा है या उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है ?	
11.	बालक का आधार संख्या, यदि उपलब्ध है, तो	

दिनांक:-

हस्ताक्षर

थाना अध्यक्ष मय मुहर

भाग-3

पुलिस द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रपत्र

''निरुद्धगी ज्ञाप (APPREHENSION MEMO)''

थाना...	दिनांक ....
धारा ....(विशेष/अविशेष)	प्राथमिकी/थाना दैनिकी प्रविष्टि सं................

1.	किशोर का नाम	
2.	माता-पिता/अभिभावक का नाम, पता एवं सम्पर्क सं.	
3.	लिंग	
4.	बच्चे/किशोर का वर्तमान पता	
5.	बच्चे/किशोर का स्थायी पता	
6.	निरुद्ध किये जाने का स्थान	
7.	निरुद्ध किये जाने की तिथि एवं समय	
8.	माता-पिता/अभिभावक, जिन्हें निरुद्ध के संबंध में सूचना दी गई है, का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या	नामः-
		संबंधः-
		पताः-
		दूरभाष नंबर.
9.	किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि, समय	तिथिः- समयः-
		स्थानः-
		नामः-
		पदः-
10.	परिवीक्षा अधिकारी, जिन्हें किशोर के निरुद्ध के संबंध में सूचना दी गई है, का नाम एवं दूरभाष संख्या साथ में सूचना का समय।	नामः-
		दूरभाष सं.:-
		सूचना का समय :-
11.	चिकित्सीय जांच	

12.	बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे.बी.) के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले अभिरक्षा	
	a. माता पिता/अभिभावक/ योग्य व्यक्ति को दी गई।	
	b. संप्रेक्षण गृह को भेजा गया।	
	c. पुलिस/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ।	
13.	प्रथम सूचना रिपोर्ट/दैनिक डायरी की प्रति दी गई।	
	a. माता-पिता/अभिभावक	हाँ नहीं
	b. परिवीक्षा (प्रोबेशन) अधिकारी	हाँ नहीं
14.	निरुद्ध किये जाने का कारण	

नोट :

1. बच्चे/किशोर के परिजनों को इसकी प्रति लिखित रसीद के साथ दी जानी है। (माता-पिता/ अभिभावक को सलाह दी जाती है कि बच्चे/किशोर के संबंध में आयु का प्रमाण एवं Surely/Bail Bond जे.जे.बी. के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।)
2. परिवीक्षा अधिकारी (Probation Officer) को लिखित पावती के साथ प्रति दी जानी है।

निरुद्ध करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

उम्र ज्ञाप (Age Memo)

(17 से 21 वर्ष की आयु के बच्चों/व्यक्तियों द्वारा कारित अपराध के संदर्भ में भरा जायेगा)

प्राथमिकी संख्या .... वर्ष .... दिनांक .... थाना .... जिला...............

1.	निरुद्ध व्यक्ति का नाम		
2.	माता-पिता का नाम	पिता	
		माता	
3.	जन्म-तिथि/निरुद्ध व्यक्ति द्वारा बताये अनुसार		
4.	उपलब्ध कागजी प्रमाण का नाम, जिसमें निरुद्ध व्यक्ति का उम्र एवं जन्म तिथि दर्शाया गया हो।		
5.	निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में सूचक द्वारा बतायी गयी उम्र (जब निरुद्ध व्यक्ति अपनी उम्र नहीं जानता हो)		
6.	निरुद्ध करने वाले पदाधिकारी द्वारा अनुमानित उम्र (जब निरुद्ध व्यक्ति द्वारा उम्र नहीं बतायी जा सकी या उसकी उम्र के संबंध में जानकारी देने वाला कोई नहीं हो)		
7.	स्कूल का नाम, जिस क्लास तक पढ़ाई की गई एवं स्कूल छोड़ने का वर्ष।		
8.	क्या निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में J.J. Act, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यवहार किया गया? (अनुसंधानकर्ता द्वारा निरुद्ध व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों या संबंधितयों द्वारा बताए अनुसार संबंधित कॉलम को चिन्हित करना है)	हाँ	वर्ष
		नहीं	
		याद नहीं	हाँ
9.	J.J. Board द्वारा पूर्व में दी गयी जांच का इतिहास (यह कॉलम SJPU द्वारा सत्यापन के उपरांत भरा जाना है।)	J.J. Board का नाम: .... प्राथमिकी सं.: .... घटना की तिथि: .... थाना: .... धारा: .... क्या निरुद्ध व्यक्ति के साथ उसके अभिभावक या अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्ति की उद्घोषणा उपलब्ध है। J.J. Board द्वारा घोषित उम्र प्रमाण पत्र: जिला: .... वर्तमान विधि निरुद्ध आचरण के समय जे.जे. बोर्ड के द्वारा घोषित उम्र:	

साक्षीः– 1.

2.

निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में जानकारी दी जा चुकी है	
तिथिः समयः	
अनुसंधानकर्ता या कोई अन्य पुलिस अधिकारी का नाम, जिसके द्वारा उक्त Age Memo को भरा जाये।	
पद एवं नाम	
थाना	
जिला	
Age Memo तैयार करने की तिथि एवं समय	
उक्त Age Memo को तैयार करने वाले पुलिस अधिकारी का हस्ताक्षर	

निरुद्ध व्यक्ति से प्राप्त रसीद–

मेरे द्वारा Age Memo की प्रति दिनांक .... समय................ स्थान .... को प्राप्त किया गया।

(नाम एवं निरुद्ध व्यक्ति का हस्ताक्षर)

माता–पिता या परिवार के सदस्यों से प्राप्त रसीद–

मेरे द्वारा Age Memo की प्रति दिनांक ...... समय .... स्थान .... को प्राप्त किया गया।

(निरुद्ध व्यक्ति के माता पिता या परिवार के सदस्यों का हस्ताक्षर)

न्यायालय में बालक को निरुद्ध करने वाले अनुसंधानक, निरुद्ध किये गये बालक के उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र उनके माता–पिता/रिश्तेदार/जिला विधिक सेवा अधिकारी को एक प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करते समय देंगे।

unicef
for every child

स्वस्ति पन्थामनु चरेम
HCM RIPA

CRC
CHILD RESOURCE CENTRE

CGG
hcm ripa
JAIPUR

बाल संदर्भ केन्द्र

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राजस्थान) – 302017

दूरभाष : +91-141-2706556, 2706268, 2715219

वेबसाईट : hcmripa.rajasthan.gov.in • www.crc-hcmripa.in

ईमेल : crc.cmsripa@gmail.com • crc.hcmripa@rajasthan.gov.in